# मध्यप्रदेश विधान सभा

## सदन की कार्यवाही का

## संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग - एक)

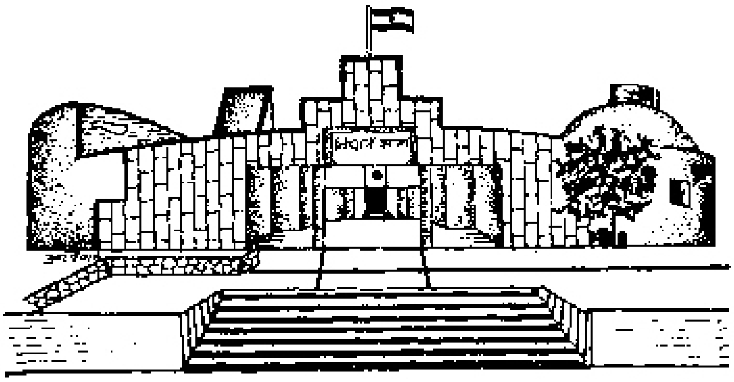

नवीन विधान सभा भवन, भोपाल

---

षोडश विधान सभा (चतुर्थ सत्र)

---

## दिनाँक 16 से 20 दिसम्बर, 2024

---

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल

# विषय-सूची

## षोडश विधान सभा – चतुर्थ सत्र
## दिनाँक 16 से 20 दिसम्बर, 2024

| बैठक क्र. | कार्यवाही की विषय सूची | पृष्ठ |
|---|---|---|


**1. सोमवार, दिनाँक 16 दिसम्बर, 2024**

1. राष्ट्रगीत "वन्दे मातरम्" का समूहगान
2. शपथ
3. निधन का उल्लेख
4. प्रश्नोत्तर
5. नियम 267-क के अधीन विषय
6. शून्यकाल में मौखिक उल्लेख
   (1) सैलाना क्षेत्र के विधायक के साथ एक चिकित्सक द्वारा दुर्व्यवहार किया जाना
   (2) प्रदेश में किसानों को खाद न मिल पाना
7. विशेष उल्लेख
8. बहिर्गमन
9. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना
10. पत्रों का पटल पर रखा जाना
11. जुलाई, 2024 सत्र की स्थगित बैठकों की प्रश्नोत्तर सूची तथा प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन खण्ड-2 पटल पर रखा जाना
12. नियम 267-क के अधीन जुलाई, 2024 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके संबंध में शासन से प्राप्त उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना
13. राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना
14. ध्यानाकर्षण :
   (1) सिंगरौली जिले में ग्रामीण सड़कों पर अवैध परिवहन से दुर्घटनाएं घटित होने संबंधी.
   (2) सागर जिले के मालथौन में एक अशासकीय शैक्षणिक संस्था के संचालन में अनियमितताएं किये जाने संबंधी.
15. याचिकाओं की प्रस्तुति
16. विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र स्वीकृति संबंधी सूचना
17. राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के प्रबंध मण्डल हेतु तीन सदस्यों का निर्वाचन
18. शासकीय विधि विषयक कार्य
   (1) मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 20 सन् 2024) का पुर:स्थापन

| बैठक क्र. | कार्यवाही की विषय सूची | पृष्ठ |
|---|---|---|

(2) मध्यप्रदेश विधान सभा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 21 सन् 2024) का पुर:स्थापन
(3) मध्यप्रदेश मां शारदा देवी मंदिर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 22 सन् 2024) का पुर:स्थापन
(4) मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 23 सन् 2024) का पुर:स्थापन
(5) मध्यप्रदेश नगरपालिक (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 24 सन् 2024) का पुर:स्थापन
(6) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय विधि संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 27 सन् 2024) का पुर:स्थापन

**1. मंगलवार, दिनाँक 17 दिसम्बर, 2024**

1. अध्यक्षीय घोषणा : प्रथम बार के निर्वाचित सदस्यों एवं महिला सदस्यों हेतु प्रश्नकाल में अवसर प्रदान किया जाना
2. प्रश्नोत्तर
3. बधाई एवं शुभकामनाएं : श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य के जन्मदिवस पर बधाई एवं शुभकामनाएं
4. विशेष उल्लेख
5. पत्रों का पटल पर रखा जाना
6. ध्यानाकर्षण
(1) पं. शिवनाथ शास्त्री शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय में अनियमितता किया जाना
(2)प्रदेश के वेयर हाऊस के देयकों का भुगतान न होना
7. अनुपस्थिति की अनुज्ञा
8. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति
(1) याचिका एवं अभ्यावेदन समिति का याचिकाओं से संबंधित प्रथम, द्वितीय एवं कार्यान्वयन से संबंधित प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा अभ्यावेदनों से संबंधित इकतीसवां एवं बत्तीसवां प्रतिवेदन
(2) प्राक्कलन समिति का प्रथम एवं द्वितीय कार्यान्वयन प्रतिवेदन
(3) प्रश्न एवं संदर्भ समिति का प्रथम एवं द्वितीय कार्यान्वयन प्रतिवेदन
(4) कृषि विकास समिति का प्रथम एवं द्वितीय कार्यान्वयन प्रतिवेदन
9. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन (स्वीकृत)
10. वर्ष 2024-25 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**बैठक क्र.** **कार्यवाही की विषय सूची** **पृष्ठ**

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. याचिकाओं की प्रस्तुति
12. नियम 267-क के अधीन विषय
13. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) मध्यप्रदेश जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 25 सन् 2024) का पुर:स्थापन.

(2) मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 26 सन् 2024) का पुर:स्थापन.

(3) मध्यप्रदेश मां शारदा देवी मंदिर( संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 22 सन् 2024) पर विचार.

(4) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय विधि संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 27 सन् 2024) पर विचार.

14. नियम 267-क के अधीन विषय (क्रमश:)

**3. बुधवार, दिनाँक 18 दिसम्बर, 2024**

1. शपथ
2. बधाई एवं शुभकामनाएं
3. प्रश्नोत्तर
4. अध्यक्षीय घोषणा : शून्यकाल की सूचनाएं अपराह्न में कार्यवाही के अंत में लिये जाने संबंधी
5. गर्भगृह में प्रवेश एवं नारेबाजी के कारण व्यवधान से कार्यवाही स्थगित होना तथा औचित्य के प्रश्न पर अध्यक्षीय व्यवस्था
6. शासकीय वक्तव्य : संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना के संबंध में मुख्यमंत्री का वक्तव्य
7. पत्रों का पटल पर रखा जाना
8. ध्यानाकर्षण :

(1) प्रदेश में आदिवासी बस्ती विकास योजना के अंतर्गत राशि का आवंटन न होना

(2) प्रदेश में साइबर अपराध पर अंकुश न लगना

9. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

---

**बैठक क्र.** **कार्यवाही की ~~विषय-सूची~~--------** **पृष्ठ**

---

10.प्रतिवेदनों की प्रस्तुति -----------------

a लोक लेखा समिति का प्रथम से उन्नीसवां प्रतिवेदन

b. शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का प्रथम द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवेदन

c. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण संबंधी समिति का षष्ठम एवं सप्तम प्रतिवेदन

11.याचिकाओं की प्रस्तुति

12.शासकीय विधि विषयक कार्य :
मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2024
(क्रमांक 29 सन् 2024) (पुर:स्थापित)

13. वर्ष 2024-25 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान

14. अध्यक्षीय घोषणा : सदन के समय में वृद्धि एवं माननीय सदस्यों हेतु चाय की व्यवस्था

15. वर्ष 2024-25 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान (क्रमश:)

16. अध्यक्षीय व्यवस्था : अनुपूरक बजट पर निर्धारित समयावधि में चर्चा पूर्ण की जाना

17. गर्भगृह में प्रवेश: इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा अनुपूरक बजट में चर्चा में भाग लेने का और अधिक अवसर देने की मांग करते हुए गर्भगृह प्रवेश

18. अध्यक्षीय व्यवस्था (क्रमश:)

19. वर्ष 2024-25 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान (क्रमश:) (स्वीकृत)

20. शासकीय विधि विषयक कार्य :
मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-6) विधेयक, 2024 (क्रमांक 28 सन् 2024)
(पुर:स्थापित एवं पारित)

21. नियम 267-क के अधीन विषय

**4. गुरूवार, दिनाँक 19 दिसम्बर, 2024**

1. निधन का उल्लेख
2. प्रश्नोत्तर
3. अध्यक्षीय घोषणा : शून्यकाल की सूचनाएं अपराह्न में कार्यवाही के अंत में लिये जाने संबंधी
4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

---

**बैठक क्र. कार्यवाही की ~~विषय-सूची~~-------- पृष्ठ**

---

-----------------

5. शून्यकाल में मौखिक उल्लेख :
जनता के विकास कार्यों हेतु राशि आवंटन में कथित भेदभाव का आरोप लगाते हुए कांग्रेस सदस्यगण द्वारा वेतन समर्पण संबंधी अनुरोध किया जाना
6.ध्यानाकर्षण :
(1) कटनी नगर निगम अंतर्गत घण्टाघर से जगन्नाथ चौक सड़क मार्ग जर्जर होना
(2) भिण्ड जिले में विद्युत संकट होना

(3) रीवा जिले के सेमरिया थाना अंतर्गत एक व्यक्ति की हत्या की जाना
(4) प्रदेश के कई आदिवासी जिलों में बच्चों में कुपोषण होना
7. अध्यक्षीय घोषणा : विशेषाधिकार भंग की सूचना को समिति को सौंपा जाना
8. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति एवं स्वीकृति
(1) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का तृतीय प्रतिवेदन (स्वीकृत) एवं
(2) प्रत्यायुक्त विधान समिति का प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन
9. शासकीय वक्तव्य : "अटल ग्राम सुशासन भवन" निर्माण के संबंध में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य
10. अध्यक्षीय घोषणा : विधेयक के भारसाधक सदस्य द्वारा माननीय संसदीय कार्य मंत्री को अधिकृत किया जाना
11. याचिकाओं की प्रस्तुति
12. शासकीय विधि विषयक कार्य :
(1) मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 29 सन् 2024) (पारित)
(2) मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 20 सन् 2024) (पारित)
(3) मध्यप्रदेश विधान सभा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 21 सन् 2024) (पारित)
13. नियम 267- क के अधीन विषय
14. बहिर्गमन : लोक सभा में कथित रूप से धक्का-मुक्की संबंधी घटना के विरोध में इंडियन नेशनल कांगेस के सदस्यगण द्वारा सदन से बहिर्गमन

---

बैठक क्र. कार्यवाही की विषय-सूची-------- पृष्ठ

---

15. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)
   (4) मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 23 सन् 2024) (पारित)
   (5) मध्यप्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 24 सन् 2024) (पारित)
   (6) मध्यप्रदेश जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 25 सन् 2024) (पारित)
16. अध्यक्षीय घोषणा : सदन के समय में वृद्धि विषयक
17. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)
   (7) मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 26 सन् 2024)
18. बधाई : गोवा मुक्ति दिवस की बधाई
19. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा : प्रदेश में किसानों को रबी फसल हेतु खाद नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति
20. बहिर्गमन : इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा प्रदेश में किसानों को रबी फसल हेतु खाद नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन

**5. शुक्रवार, दिनाँक 20 दिसम्बर, 2024**

1. बधाई एवं शुभकामना : मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष महोदय के कार्यकाल के एक वर्ष पूर्ण होने संबंधी
2. प्रश्नोत्तर
3. ध्यानाकर्षण

(1) प्रदेश के गैर सरकारी संगठनों को अनुदान न दिया जाना
(2) धार जिले के टाण्डा क्षेत्र में सिंचाई परियोजना पर कार्यवाही न होना

**ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्रीगण द्वारा वक्तव्य पठित मान्य**

(3) चंदेरी क्षेत्र में आदिवासियों को मूलभूत सुविधा न मिलना
(4) शिवपुरी जिले के कृषि उपज मंडी करेरा में फलों की बिक्री न होना
(5) विक्रम विश्वविद्यालय में अतिथि विद्वान के पद पर नियुक्ति दिये जाने में अनियमितता होना

---

| बैठक क्र. | कार्यवाही की विषय सूची | पृष्ठ |
|---|---|---|

---

(6) प्रदेश की लाड़ली बहनों को योजना का लाभ न दिया जाना
(7) शासकीय इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेकनिक कालेजों में छात्रों की प्रवेश संख्या में कमी होना
(8) शासकीय उर्दू स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों के स्थानांतरण न किया जाना
(9) हरदा जिले के रोलगांव स्थित भीलटदेव जन्म स्थली को विकसित न किया जाना
(10) सेंधवा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुहाला में भ्रष्टाचार की राशि वसूल न किया जाना
(11) महाविद्यालयीन प्राध्यापकों को स्वीकृत ग्रेड-पे न दिया जाना
(12) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक गुना शाखा चंदेरी द्वारा अमानतदारों की राशि का गबन किया जाना
(13) प्रदेश के माध्यमिक एवं हाई स्कूलों में शिक्षकों के पद न भरे जाना
(14) सिवनी जिले में विद्युत समस्या का निराकरण न किया जाना
(15) कौशल विकास संचालनालय का संचालन जबलपुर से न किया जाना
(16) सेंट फ्रांसिस संस्था श्यामपुरा जिला सागर द्वारा बच्चों को प्रताड़ित किया जाना
(17) दतिया जिले में आर.डी.एस.एस. योजनान्तर्गत विद्युत कार्य में अनियमितता होना
(18) प्रदेश में वन भूमि की रजिस्ट्री न होना
(19) प्रदेश में आवारा पशुओं से जनहानि एवं फसलों को नुकसान होना
(20) विदिशा जिले में वनों की अवैध कटाई होना
(21) भोपाल, देवास, जावरा, नयागांव तथा लेबड मार्ग पर टोल रोड अनुबंध में अनियमितता किया जाना
(22) अनुसूचित जाति वर्ग के प्रकरणों के निराकरण हेतु सामान्य वर्ग के अधिकारी की नियुक्ति किया जाना
(23) जबलपुर-अमरकंटक एवं डिण्डोरी-मंडला सड़क निर्माण के प्राक्कलन ठीक से न बनाया जाना
(24) धार, बड़वानी जिले में जल जीवन मिशन कार्य में अनियमितता होना
(25) सागर जिले के खुरई अंतर्गत पुराने परिवहन चेक पोस्ट पर स्थायी चौकी बनाकर अवैध वसूली किया जाना
(26) प्रदेश में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाये जाने से नागरिकों में रोष होना
(27) भिण्ड जिले के मुख्य नगरपालिका अधिकारी लहार द्वारा नियम विरूद्ध कार्य किया जाना

| बैठक क्र. | कार्यवाही की विषय सूची | पृष्ठ |
|---|---|---|
| | (28) प्रदेश के पुलिस कर्मियों को सप्ताह में एक दिन का अवकाश न दिया जाना | |
| | 4.याचिकाओं की प्रस्तुति | |
| | 5. राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के प्रबंध मण्डल के लिए राज्य विधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन संबंधी घोषणा | |
| | 6. अशासकीय संकल्प | |
| | (1) जबलपुर व्हाया बुधनी रेल्वे लाईन हरदा से संदलपुर (जिला-देवास) लाईन जोड़ी जाना (सर्वानुमति से स्वीकृत) | |
| | (2) गुना, अशोकनगर, ललितपुर, टीकमगढ़, बुडेरा, छतरपुर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना." (सर्वानुमति से स्वीकृत) | |
| | 7. नियम 267-क के अधीन विषय (तीन ही सूचनाएं पढ़ी गईं) एवं तत्संबंधी अध्यक्षीय घोषणा | |
| | 8. सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिये स्थगित किया जाना : घोषणा | |


**षोडश विधान सभा के चतुर्थ सत्र संबंधी परिशिष्ट**


| | | |
|---|---|---|
| परिशिष्ट "एक" | : | मंत्रि-परिषद् सूची |
| परिशिष्ट "दो" | : | माननीय सदस्यों की क्षेत्रवार वर्णात्मक सूची |
| परिशिष्ट "तीन" | : | सत्र आमंत्रण की अधिसूचना |
| परिशिष्ट "चार" | : | सत्र आमंत्रण संबंधी पत्रक भाग-दो |
| परिशिष्ट "पांच" | : | बैठकों की निर्धारित दिनदर्शिका |
| परिशिष्ट "छ:" | : | बैठकों की सामान्य सूची |
| परिशिष्ट "सात " | : | विभागवार प्रश्नोत्तरों के लिए निश्चित दिनाँक |
| परिशिष्ट "आठ " | : | सत्र संबंधी संक्षिप्त (सांख्यिकीय) जानकारी |
| परिशिष्ट "नौ " | : | बैठकों का विषयवार एवं दिनाँकवार समय विवरण (सारांश) |

# मध्यप्रदेश विधान सभा

## संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

## सोमवार, दिनांक 16 दिसम्बर, 2024 (अग्रहायण 25, 1946)

**विधान सभा पूर्वाह्न 11:01 बजे समवेत हुई.**

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

### 1. राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' का समूहगान

सदन की कार्यवाही राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' के समूहगान से प्रारम्भ हुई.

### 2. शपथ

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 123-अमरवाड़ा (अ.ज.जा) से उप-चुनाव में निर्वाचित श्री कमलेश प्रताप शाह तथा 156-बुधनी से उप-चुनाव में निर्वाचित श्री रमाकान्त भार्गव सदस्यगण ने शपथ ली, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर किए और सभा में अपने स्थान ग्रहण किये.

### 3. निधन का उल्लेख.

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित के निधन पर सदन की ओर से शोकोदगार व्यक्त किये गये : -

(1) श्री विजय सिंह, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(2) कैप्टन जयपाल सिंह, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(3) श्री महेश प्रसाद मिश्र, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(4) चौधरी गंभीर सिंह, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(5) श्री भारत सिंह, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(6) श्री प्रभात झा, भूतपूर्व संसद सदस्य,
(7) श्री आरिफ अकील, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(8) श्री बैजनाथ सिंह, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(9) श्री नंदाराम सोरी, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(10) श्री के. नटवर सिंह, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री,
(11) श्री एस.एम. कृष्णा, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री,
(12) श्री रतन नवल टाटा, सुप्रसिद्ध उद्योगपति एवं समाजसेवी,
(13) श्रीमती जोधइया बाई बैगा, आदिवासी चित्रकार एवं पद्मश्री तथा
(14) सिक्किम के पाक्योंग में सड़क दुर्घटना में शहीद जवान.

तदुपरांत डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री एवं श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष द्वारा शोकोदगार व्यक्त किये गये.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की ओर से शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की गई. सदन द्वारा कुछ समय मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

तत्पश्चात् दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही पूर्वाह्न 11:39 बजे से 10 मिनट के लिए स्थगित की जाकर पूर्वाह्न 11:49 बजे विधान सभा पुन: समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

## 4. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 2 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1 एवं 2) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 132 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 152 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

## 5. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की टीकमगढ़ जिले में स्वच्छ भारत मिशन के क्रियान्वयन में शासन के नियमों का पालन न होने,

(2) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य की इटारसी में संचालित श्रीमती विजयाराजे सिंधिया खेल प्रशाल में पर्याप्त स्टाफ न होने से रख-रखाव न हो पाने,

(3) श्री रजनीश हरवंश सिंह, सदस्य की केवलारी विधानसभा अतंर्गत संजय सरोवर परियोजना अतंर्गत जीर्ण-शीर्ण नहरों को पक्का कराए जाने,

(4) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे, सदस्य की प्रदेश में आवारा पशुओं से किसानों की फसलों को नुकसान होने,

(5) श्री दिनेश राय, सदस्य की मध्यप्रदेश में दवाई मूल्य नियंत्रण हेतु ड्रग प्राईस कंट्रोल आदेश का क्रियान्वयन सही रूप से न हो पाने,

(6) श्री बाला बच्चन, सदस्य की राजपुर विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन में भारी अनियमितता होने,

(7) श्री कैलाश कुशवाहा, सदस्य की शिवपुरी जिले में महिलाओं की तस्करी, अपहरण, चोरी, लूट एवं डकैती की घटनाओं में वृद्धि होने,

(8) श्री भैरो सिंह बापू, सदस्य की आगर-मालवा जिले के सुसनेर में नवीन न्यायालय भवन निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति जारी न की जाने,

(9) श्री महेश परमार, सदस्य की उज्जैन में शासकीय भूमि को निजी हाथों में रेस्टोरेंट संचालन हेतु सौंपे जाने तथा

(10) श्री विपीन जैन, सदस्य की मंदसौर स्थित काला खेत शापिंग काम्पलेक्स और आस- पास के क्षेत्र में साठिया समुदाय से अतिक्रमण न हटाए जाने

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं.

## 6. शून्यकाल में मौखिक उल्लेख.

### (1) सैलाना क्षेत्र के विधायक के साथ एक चिकित्सक द्वारा दुर्व्यवहार किया जाना

श्री कमलेश्वर डोडियार, सदस्य द्वारा रतलाम में एक चिकित्सक द्वारा दुर्व्यवहार की घटना पर चर्चा की मांग की गई.

### (2) प्रदेश में किसानों को खाद न मिल पाना.

श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष ने उल्लेख किया कि पूरे प्रदेश के अंदर खाद नहीं मिलने के कारण किसान परेशान है, वह बोवनी नहीं कर पा रहा है. आज पूरे प्रदेश में अव्यवस्था है, सरकार इस पर चर्चा ही नहीं करना चाहती है.

अध्यक्ष महोदय ने नेता प्रतिपक्ष को आश्वस्त किया कि इस मामले में चर्चा हेतु सूचना लगी हुई है और उस पर सदन में चर्चा कराई जाएगी. पक्ष-विपक्ष के सदस्यगण के विचारोपरांत शासन का वक्तव्य आएगा निश्चित रूप से समाधान होगा.

## 7. विशेष उल्लेख.

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने विशेष उल्लेख करते हुए आंसदी के माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित किया कि ''आज का दिन एक और विषय में बहुत महत्वपूर्ण दिन है. आज के दिन ही बांग्लादेश का उदय हुआ था और 93 हजार पाकिस्तान के सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए हमारी बहादुर सेना ने मजबूर किया था, यह विश्व का सबसे बड़ा उदाहरण है कि 93 हजार सैनिकों को समर्पण करवाया इसलिए यह सदन भारतीय सेना को उनकी बहादुरी के लिए बधाई और धन्यवाद देता है''.

अध्यक्ष महोदय ने संसदीय कार्य मंत्री की भावना से सहमत होते हुए यह उद्गार प्रकट किए कि - बांग्लादेश के उदय के समय हमारे भारत की बहादुर सेनाओं के शौर्यपूर्ण प्रदर्शन के प्रति यह सदन पूरा आदर और सम्मान व्यक्त करता है.

## 8. बहिर्गमन.

श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा खाद संकट की स्थिति पर शासन के रवैये से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया.

## 9. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना.

**श्री गौतम टेटवाल, राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार** ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2024 (क्रमांक 4 सन् 2024) पटल पर रखा.

## 10. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) **श्री गोविन्द सिंह राजपूत, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने** म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड का 45 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 पटल पर रखा.

(2) **श्री नारायण सिंह कुशवाह, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री ने** मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड का 51 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2019-20 पटल पर रखे.

(3) **श्री तुलसीराम सिलावट, जल संसाधन मंत्री** ने -

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार –

(i) मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड की 21वीं वार्षिक रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2022-23, तथा

(ii) एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड का 17वां वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2022-23, एवं

(ख) मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंकेक्षित लेखे, तथा

(ग) मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

(i) क्रमांक 1852/मप्रविनिआ/2024, दिनांक 01 अगस्त, 2024,

(ii) क्रमांक 1539/मप्रविनिआ/2024, दिनांक 26 जून, 2024, एवं

(iii) क्रमांक मप्रविनिआ-संचा.-(एल एण्ड आर)-2024-1540, दिनांक 26 जून, 2024 (शुद्धि पत्र)

पटल पर रखीं.

## 11. जुलाई, 2024 सत्र की स्थगित बैठकों की प्रश्नोत्तर सूची तथा प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन खण्ड- 2 पटल पर रखा जाना.

अध्यक्ष महोदय ने जुलाई, 2024 सत्र की स्थगित बैठकों की प्रश्नोत्तर सूची तथा प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन खण्ड- 2 पटल पर रखे जाने की घोषणा की.

## 12. नियम 267-क के अधीन जुलाई, 2024 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके संबंध में शासन से प्राप्त उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

अध्यक्ष महोदय ने नियम 267-क के अधीन जुलाई, 2024 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके संबंध में शासन से प्राप्त उत्तरों का संकलन पटल पर रखे जाने की घोषणा की.

## 13. राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि मध्यप्रदेश विधान सभा के विगत सत्रों में पारित 12 विधेयकों को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है, अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाले विवरण की प्रतियां माननीय सदस्यों को वितरित कर दी गई हैं. इन विधेयकों के नाम कार्यवाही में मुद्रित किये जायेंगे :-

| क्र. | राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयक | अधिनियम क्रमांक |
|---|---|---|
| 1. | मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2024 (क्रमांक 18 सन् 2024) | अधिनियम क्रमांक 8 सन् 2024 |
| 2. | प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय (निरसन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 2 सन् 2024) | अधिनियम क्रमांक 9 सन् 2024 |
| 3. | मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 13 सन् 2024) | अधिनियम क्रमांक 10 सन् 2024 |
| 4. | मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 9 सन् 2024) | अधिनियम क्रमांक 11 सन् 2024 |
| 5. | मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 11 सन् 2024) | अधिनियम क्रमांक 12 सन् 2024 |
| 6. | मध्यप्रदेश सुधारात्मक सेवाएं एवं बंदीगृह विधेयक, 2024 (क्रमांक 12 सन् 2024) | अधिनियम क्रमांक 13 सन् 2024 |
| 7. | मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 15 सन् 2024 ) | अधिनियम क्रमांक 14 सन् 2024 |
| 8. | मध्यप्रदेश खुले नलकूप में इंसानों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुरक्षा विधेयक, 2024 (क्रमांक 17 सन् 2024 ) | अधिनियम क्रमांक 15 सन् 2024 |
| 9. | मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक- 5 ) विधेयक, 2024 (क्रमांक 19 सन् 2024) | अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2024 |
| 10. | मध्यप्रदेश माल और सेवाकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 16 सन् 2024) | अधिनियम क्रमांक 17 सन् 2024 |
| 11. | मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 14 सन् 2024) | अधिनियम क्रमांक 18 सन् 2024 |
| 12. | मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 10 सन् 2024) | अधिनियम क्रमांक 19 सन् 2024 |

## 14. ध्यानाकर्षण.

(1) **श्री अजय अर्जुन सिंह,** सदस्य की अनुपस्थितवश सिंगरौली जिले में ग्रामीण सड़कों पर अवैध परिवहन से दुर्घटनाएं घटित होने संबंधी ध्यानाकर्षण प्रस्तुत नहीं हो सका.

(2) **श्री भूपेन्द्र सिंह,** सदस्य ने सागर जिले के मालथौन में एक अशासकीय शैक्षणिक संस्था के संचालन में अनियमितताएं किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री उदय प्रताप सिंह, स्कूल शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया. श्री ओमप्रकाश सखलेचा, सदस्य ने भी चर्चा में भाग लिया.

## 15. याचिकाओं की प्रस्तुति.

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों के सभी याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री कैलाश कुशवाहा (जिला-शिवपुरी)
(2) श्री घनश्याम चंद्रवंशी (जिला-शाजापुर)
(3) श्रीमती अनुभा मुंजारे (जिला-बालाघाट)
(4) इंजी. हरिबाबू राय (जिला-अशोकनगर)
(5) श्री दिनेश गुर्जर (जिला-मुरैना)
(6) श्री राजेन्द्र भारती (जिला-दतिया)
(7) श्री यादवेन्द्र सिंह (जिला-टीकमगढ़)
(8) डॉ. सतीश सिकरवार (जिला-ग्वालियर)
(9) श्री सुरेश राजे (जिला-ग्वालियर)
(10) श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर (जिला-निवाड़ी)
(11) श्री श्याम बरड़े (जिला-बड़वानी)
(12) डॉ. हिरालाल अलावा (जिला-धार)
(13) श्री महेन्द्र नागेश (जिला-नरसिंहपुर)
(14) श्री केशव देसाई (जिला-भिण्ड)
(15) श्री फूलसिंह बरैया (जिला-दतिया)
(16) श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे (जिला-भिण्ड)
(17) श्री भगवानदास सबनानी (जिला-भोपाल शहर)
(18) श्री विपीन जैन (जिला-मंदसौर शहर)
(19) श्री वीरसिंह भूरिया (जिला-झाबुआ)
(20) श्री अभय मिश्रा (जिला-रीवा)
(21) डॉ. अभिलाष पाण्डेय (जिला-ग्वालियर)
(22) श्री गोपाल सिंह इंजीनियर (जिला-सीहोर)
(23) श्री प्रदीप अग्रवाल (जिला-दतिया)
(24) श्री रजनीश हरवंश सिंह (जिला-सिवनी)
(25) श्री उमंग सिंघार (जिला-सिंगरौली)
(26) श्री बाला बच्चन (जिला-बड़वानी)
(27) श्री दिनेश राय (जिला-सिवनी)

## 16. विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र स्वीकृति संबंधी सूचना.

अध्यक्ष महोदय द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 2-विजयपुर से निर्वाचित सदस्य श्री रामनिवास रावत के द्वारा विधान सभा में अपने स्थान से त्यागपत्र देने एवं दिनांक 8 जुलाई, 2024 को स्वीकृत किए जाने की सूचना सदन को दी गई.

## 17. राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के प्रबंध मण्डल हेतु तीन सदस्यों का निर्वाचन.

**श्री एदल सिंह कंषाना, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया कि :-**

"यह सभा, उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (क्रमांक 4 सन् 2009) की धारा 27 की उपधारा (2) के पद (नौ) की

अपेक्षानुसार राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के प्रबंध मण्डल के लिए राज्य विधान सभा के सदस्यों में से तीन सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हो.".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

**निर्वाचन कार्यक्रम**

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि – राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के प्रबंध मंडल हेतु विधान सभा के तीन सदस्यों का निर्वाचन कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

(1) नाम-निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में बुधवार, दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 को अपराह्न 1.00 बजे तक दिये जा सकते हैं.

(2) नाम-निर्देशन प्रपत्रों की जांच बुधवार, दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 को अपराह्न 3.00 बजे से विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक- 6 में होगी.

(3) उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना गुरूवार, दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 को अपराह्न 1:00 बजे तक इस सचिवालय में दी जा सकती है.

(4) निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान, शुक्रवार दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक होगा.

(5) निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जायेगा.

उपर्युक्त निर्वाचनों हेतु अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने एवं उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय के माध्यम से प्राप्त किये जा सकते हैं।"

## 18. शासकीय विधि विषयक कार्य.

(1) **श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने** मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 20 सन् 2024) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(2) **श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने** मध्यप्रदेश विधान सभा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 21 सन् 2024) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(3) **श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी, राज्यमंत्री धार्मिक न्यास और धर्मस्व ने** मध्यप्रदेश मां शारदा देवी मंदिर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 22 सन् 2024) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(4) **श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने** मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 23 सन् 2024) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे. सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(5) **श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने** मध्यप्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 24 सन् 2024) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(6) **श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री ने** मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय विधि संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 27 सन् 2024) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

अपराह्न 12:38 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2024 (26 अग्रहायण, शक संवत् 1946) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

---------------------------------

# मंगलवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2024 (अग्रहायण 26, 1946)

**विधान सभा पूर्वाह्न 11:01 बजे समवेत हुई.**

**अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.**

## 1. अध्यक्षीय घोषणा

**प्रथम बार के निर्वाचित सदस्यों एवं महिला सदस्यों हेतु प्रश्नकाल में अवसर प्रदान किया जाना.**

अध्यक्ष महोदय ने यह घोषणा की कि- ''आज का प्रश्नकाल प्रथम बार निर्वाचित एवं महिला सदस्यों को अवसर प्रदान करने हेतु नियत है. नए सदस्य इसका पूरा उपयोग करेंगे ऐसी अपेक्षा है.

आज की प्रश्नोत्तर सूची में क्रमांक 1 से 7 तक लगातार महिला सदस्यों के प्रश्न चर्चा में आए हैं. यह एक संयोग है और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक उदाहरण भी है.''

## 2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 12 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1 से 12) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 124 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 146 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

## 3. बधाई एवं शुभकामनाएं

आसंदी द्वारा श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य विधानसभा के जन्मदिन पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी गईं.

## 4. विशेष उल्लेख

**मध्यप्रदेश विधान सभा के 68 वर्ष की गौरवपूर्ण यात्रा**

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में यह उद्गार व्यक्त किए गए कि- ''आज एक महत्वपूर्ण संदर्भ भी हम सबके बीच में है क्योंकि वर्ष 1956 में जब नई विधान सभा बनी, तो आज ही के दिन पहली विधान सभा की बैठक हुई थी. मध्यप्रदेश विधान सभा की गौरवपूर्ण यात्रा के 68 वर्ष पूर्ण होने पर आप सभी माननीय सदस्यों को हृदयपूर्वक बहुत-बहुत बधाई एवं बहुत शुभकामनाएं.''

''मध्यप्रदेश विधान सभा के 68 वर्ष की संसदीय यात्रा में स्पंदित हमारी गौरवमयी उपलब्धियों एवं जन कल्याणकारी और विकासोन्मुखी राज्य निर्माण में विधानसभा की महती भूमिका है.

लोकतंत्र की जननी कहे जाने वाले दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत ने अपने महान् संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से प्रजातांत्रिक व्यवस्था का एक अनुपम उदाहरण स्थापित किया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में राज्यों के विधानमंडलों की महती भूमिका रही है। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि अपनी स्थापना के 68 वर्ष पूर्ण कर रही मध्यप्रदेश विधान सभा का संसदीय परंपराओं के निर्वहन में एक गौरवशाली इतिहास रहा है।

15 अगस्त, 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत जब 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो मध्यप्रदेश एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। इसके घटक राज्यों में मध्यप्रदेश, मध्य भारत, विन्ध्य प्रदेश एवं भोपाल थे, जिनकी अपनी-अपनी विधान सभाएं थीं। पुनर्गठन के पश्चात् चारों विधानसभाएं एक विधान सभा में समाहित हो गई एवं 1 नवंबर, 1956 को नई विधान सभा अस्तित्व में आई एवं इसका पहला अधिवेशन 17 दिसम्बर 1956 को प्रारंभ हुआ था।

मध्यप्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पद्मविभूषण स्व. कुंजीलाल दुबे जी ने सदन में अपने पहले अध्यक्षीय संबोधन में विश्वास जताया था कि "मध्यप्रदेश देश का गौरव बनेगा, प्रदेश की विधानसभा संसदीय नियमों के निर्वहन में एक मिसाल कायम करेगी। "आज 68 वर्ष उपरांत मुझे यह कहते हुए बहुत संतोष और हर्ष होता है कि इन सात दशकों में मध्यप्रदेश की विधानसभा ने भारत के संसदीय इतिहास में अपना नाम स्वर्णाक्षरों से अंकित किया है। सात दशक के इस कालखण्ड में विधानसभा ने प्रदेश के विकास और यहां के नागरिकों के कल्याण के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए, वे सरकारों के माध्यम से धरातल पर उतरे और आज जब हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में 'विकसित भारत' के संकल्प की सिद्धि में द्रुतगति से जुटे हुए हैं, स्व. कुंजीलाल दुबे जी के शब्दों में मध्यप्रदेश, देश का गौरव बन रहा है।

भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, क्योंकि यही वह भूमि है जहां शासन व्यवस्था में लोकतांत्रिक मूल्यों का सर्वप्रथम बीजारोपण हुआ। ऋग्वेद और अथर्ववेद, सबसे पुराने उपलब्ध पवित्र ग्रंथ, सभा, समिति और संसद जैसी भागीदारी वाली संस्थाओं का उल्लेख करते हैं, जिनमें से अंतिम शब्द अभी भी प्रचलन में है जो हमारी संसद को दर्शाता है। रामायण और महाभारत, इस भूमि के महान महाकाव्य भी निर्णय लेने में लोगों को शामिल करने की बात करते हैं। अतएव यह साक्ष्य प्रमाणित तथ्य है कि 'भारत लोकतंत्र की जननी' है। स्वतंत्रता उपरांत एक सुदृढ़ संघीय किंतु विकेंद्रीकृत लोकतांत्रिक व्यवस्था के आयामों में केंद्र एवं राज्यों की अपनी-अपनी सुस्पष्ट भूमिका है। मध्यप्रदेश में विधानसभा ने संसदीय प्रक्रियाओं, नियमों, परंपराओं एवं सदन संचालन के माध्यम से प्रदेश को एक सुशासित, जनकल्याणकारी एवं विकासोन्मुखी राज्य बनाने में अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया है।

मध्यप्रदेश के निर्माण से अब तक 15 विधानसभा कार्यकाल पूर्ण हो चुके हैं, 16 वां जारी है। इस कालखण्ड में मध्यप्रदेश विधानसभा अपने यशस्वी अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, मुख्यमंत्रियों, प्रतिपक्ष के नेताओं, मंत्रियों, समिति सभापतियों, सम्माननीय सदस्यों एवं विधानसभा सचिवालयीन अधिकारियों-कर्मचारियों के अतुलनीय योगदान एवं असाधारण सहयोग के बल पर सदैव जनकल्याण एवं प्रदेश के विकास को समर्पित रही है। यह उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश विधानसभा के अब तक 2600 से अधिक सदस्य रहे हैं। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य के गठन से पूर्व अविभाजित मध्यप्रदेश विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 320 थी और विभाजन के पश्चात् यह संख्या 230 हो गई है।

इन सात दशकों में यह सदन कई ऐतिहासिक क्षणों का साक्षी रहा है। विधेयकों के माध्यम से प्रदेश के विकास और जनकल्याण के कई निर्णय इसी सदन में हुए। यहां प्रदेश हित में गंभीर संवाद हुआ, पक्ष-विपक्ष में सार्थक वाद-विवाद हुआ, तीखी नोकझोंक भी हुई और हास-परिहास के क्षण भी आए। मध्यप्रदेश विधानसभा के लिए यह गर्व का विषय है कि कुछ एक अप्रिय प्रसंगों को छोड़कर यहां सदस्यों ने सदैव ही संसदीय मर्यादाओं का पालन किया है।

मध्यप्रदेश विधान सभा में महिला शक्ति की भी सदैव महत्ता स्थापित रही है। सदन में महिला सदस्यों की पर्याप्त संख्या एवं महिला सदस्यों को अपनी बात रखने के लिए पर्याप्त समय एवं स्थान प्रदान किया जाता रहा है। यह भी एक उल्लेखनीय तथ्य है कि मुख्यमंत्री के रूप में सुश्री उमा भारती एवं नेता प्रतिपक्ष के रूप में स्व. श्रीमती जमुना देवी ने महिला नेतृत्व को सदन में प्रबल किया है। वर्तमान में कुल 27 महिलाएं सदन की सदस्य हैं। मध्यप्रदेश विधान सभा में प्रत्येक सत्र में प्रति मंगलवार को प्रश्नकाल में महिलाओं एवं प्रथम बार निर्वाचित सदस्यों का प्रश्न लिये जाने का निर्णय लिया गया है। आज के दिन मंगलवार को भी प्रश्नकाल में हमारी 7 माननीया सदस्यों के प्रश्न तारांकित प्रश्नों में लिये गये हैं।

इसी सदन से 'मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना' का सूत्रपात हुआ जो प्रदेश में बालिका सशक्तिकरण और लिंगानुपात में सुधार के लिए पूरे देश में एक मिसाल बनी। निर्भया कांड के पश्चात् बलात्कार के प्रकरण में दुष्कर्मी को फांसी की सजा का प्रावधान करने वाली देश की पहली विधानसभा मध्यप्रदेश ही थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो या एक देश एक कर की भावना से परिपूर्ण जीएसटी, संसद के जनहित के हर निर्णय को प्रदेश में वैधानिक सहमति प्रदान करने में मध्यप्रदेश विधानसभा अग्रणी रही है।

मध्यप्रदेश विधानसभा जन-सरोकारों से भी जुड़ी रही है। यहां आवेदन एवं अभ्यावेदन समिति का उल्लेख करना आवश्यक होगा। मध्यप्रदेश का कोई भी नागरिक जिसका शासन स्तर पर कोई कार्य नहीं हुआ हो और उसके द्वारा शासन एवं अधिकारियों के समक्ष आवेदन देने के पश्चात् भी कार्य का निराकरण नहीं हुआ हो तो वह आवेदन एवं अभ्यावेदन समिति के समक्ष प्रमाण के साथ आवेदन कर सकता है। इस आवेदन पर समिति संज्ञान ले सकती है।

मध्यप्रदेश विधानसभा ने कोरोना के संकटकाल में लॉकडाउन के दौरान लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का बीड़ा मध्यप्रदेश विधानसभा ने उठाया। इस दौरान विधानसभा में एक कॉल सेंटर स्थापित किया गया, जिस पर संपर्क करने वाले लोगों को इस विषम परिस्थिति में उनके घर पहुंचाया गया। मध्यप्रदेश विधानसभा की महिला एवं बाल कल्याण समिति, कृषि विकास समिति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण संबंधी समिति और पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति ने समय-समय पर इन वर्गों के कल्याण एवं उत्थान में अपनी भूमिका निभाई है।

माननीय सदस्य जनता की आवाज होते हैं इसलिए विधान सभा अध्यक्ष के नाते मैंने पहल की है कि सदन में पहली बार चुनकर आए विधायकों को प्रोत्साहित किया जाए, उनकी आवाज अनुभव के आगे अनसुनी न रह जाए। सदन की गौरवशाली परंपराओं को बनाए रखते हुए यह व्यवस्था बनाने का प्रयत्न किया है कि शून्यकाल की सूचनाओं में पहली बार चुनकर आये विधायकों की सूचनाओं को प्राथमिकता क्रम में सबसे ऊपर रखा जाय। पहली बार निर्वाचित तीन सदस्यों की सूचनाओं को उसी दिन स्वीकार किये जाने की व्यवस्था भी दी गई जिस दिन वे प्राप्त हुई थी। इस कदम को 16वीं विधान सभा में एक नई परिपाटी निरूपित किया गया। नवाचार को आगे बढ़ाते हुए एक और व्यवस्था दी गई कि प्रश्न पूछने वाले सदस्यों को विधान सभा का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद भी अपने प्रश्न का उत्तर मिल सकेगा। व्यवस्था के अनुसार 'अब विधान सभा के विघटन के पूर्व सत्र तक लंबित प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के उत्तर व्यपगत नहीं होंगे। इसके संबंध में परीक्षण कर प्रश्न एवं संदर्भ समिति द्वारा कार्यवाही की जायेगी तथा समिति द्वारा अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा । "

समन्वय, प्रशिक्षण और नवाचार की त्रिवेणी के माध्यम से यह प्रयत्न किया गया है कि विधानसभा की कार्यवाहियां राजनीतिक विचार से ऊपर उठ कर जन सरोकारों का मंच बन सकें। प्रौद्योगिकी के हस्तक्षेप से विधान सभा के कार्य को प्रभावी, पारदर्शी, त्वरित और जवाबदेह बनाने की दिशा में ई-विधान पोर्टल और मोबाइल एप एक उल्लेखनीय पहल है। तकनीक के साथ कदमताल मिलाते हुए ई विधान सभा की प्रक्रिया को अपनाया गया है ताकि पूरी विधान सभा हाईटेक और डिजिटल बनाई जा सके।

मध्यप्रदेश विधान सभा का पुस्तकालय बहुत धनाढ्य इन अर्थों में है कि सम्पूर्ण भारत में अन्य किसी भी राज्य विधान सभा के पास इतना वृहद् एवं समृद्ध पुस्तकालय संभवत: नहीं है। प्राचीन ग्रन्थों, संदर्भ पुस्तकों, विधि, साहित्य, इतिहास, पुराण, संसदीय प्रणाली, मानव शास्त्र एवं अनेक विषयों पर कई भाषाओं में विश्व लेखों की असंख्य पुस्तकों का भण्डार है। विधान सभा सदस्यों और शोध छात्रों को प्रचुर साहित्य सामग्री सहज उपलब्ध हो जाती है।

26 नवंबर 2024 को भारतीय संविधान ने गौरवशाली 75 वर्ष पूर्ण कर लिए है। यह संविधान का वह अमृतकाल है जिसमें राज्यों के विधानमंडलों की भूमिका रही है। संविधान के 75 वर्ष के अवसर पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद को संबोधित करते हुए 11 संकल्प रखें है। इन सभी संकल्पों का पालन एक नागरिक के साथ-साथ विधानमंडल के सदस्य के रूप में हम सभी के लिए करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। मध्यप्रदेश विधानसभा लोकतंत्र का एक ऐसा मंदिर है जहाँ संविधान में पूर्ण आस्था के साथ जनकल्याण की ऋचाएं रची जाती हैं। सात दशक की इस संसदीय यात्रा ने इस विधान सभा को अपने हर अनुभव के साथ समृद्ध बनाया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह सदन सदैव लोककल्याण की पताका फहराता रहेगा''।

सभी सदस्यों को इस पावन अवसर पर मेरी ओर से बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुभकामनाएं, जय भारत, जय मध्यप्रदेश.''

तत्पश्चात् श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री, वित्त, श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष, श्री राजेन्द्र शुक्ल, उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह, डॉ सीतासरन शर्मा, श्री गिरीश गौतम, श्री गोपाल भार्गव द्वारा भी विचार व्यक्त किए. अन्त में, अध्यक्ष महोदय द्वारा यह उद्गार व्यक्त किए गए कि-

''सभी सदस्यों को इस मौके पर बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुभकामनायें और मैं समझता हूं कि प्रमुख रूप से बहुत सारे सुझाव भी आये हैं सभी लोगों ने विधान सभा की कार्यवाही को समृद्ध बनाने के लिये अपने सुझाव भी दिये हैं उन पर भी विचार किया जाना मुझे लगता है समीचीन होगा और सामान्यत: मैं कभी-कभी सोचता हूं कि पुराने समय में बहुत सारी परंपरायें हमारे विधान सभा में थीं बहुत सारे सदस्य उनकी जो भूमिका रहती थी. भिन्न-भिन्न विषयों पर,उस भूमिका में भी उनका चयन होता था और उनको पुरस्कृत करने का काम भी एक बड़े समारोह में किया जाता था एक समय था कि विधान सभा में विधायक क्लब बड़ा समृद्ध था और उस क्लब में सभी पक्ष-विपक्ष के विधायक धन संग्रह में जुटते थे और अपना-अपना हिस्सा देते थे और हर साल कोई न कोई बड़ा एक इवेंट होता था जिसमें हम सब पक्ष-विपक्ष से ऊपर उठकर हम विधान सभा हैं यह भावना उसके माध्यम से निश्चित रूप से प्रबल होती रहती थी.

मैं समझता हूं कि आज हम 17 दिसम्बर को बैठे हैं यह दिन हमारी विधान सभा के जीवन में महत्वपूर्ण दिन है और इस दिन को हम और समृद्ध आगामी वर्षों में बनाएं इसके लिये निश्चित रूप से पक्ष और विपक्ष दोनों से विचार-विमर्श करेंगे और सरकार से भी विमर्श करेंगे मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में लाएंगे और मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों की यह निरंतर कोशिश बनी रहनी चाहिये कि सदन की बैठकें अधिक से अधिक हों यह पक्ष और विपक्ष दोनों के लिये जरूरी है और मैं समझता हूं कि हम सब लोग अपने को पक्ष और विपक्ष में ही 24 घंटे बांटे रहते हैं जिसके कारण जो ब्रिज बनना चाहिये आपस में तो वह ब्रिज नहीं बन पाता और ब्रिज नहीं बन पाता तो हम उस पर चढ़कर पार नहीं हो पाते इसलिये कोई समय ऐसा जरूर होना चाहिये कि जब विपक्ष भी पक्ष से पूछे कि विधान सभा की बैठकें और बढ़ाने के लिये हमारे किस सहयोग की आवश्यक्ता है और पक्ष भी विपक्ष से पूछे और कहे कि आप अगर इस दिशा में चलें तो निश्चित रूप से बैठकों को और बढ़ाने का काम किया जा सकता है.

कुल मिलाकर हमारी कोशिश यह होनी चाहिये कि बैठकों की संख्या निरंतर बढ़े और निरंतर जनकल्याण और कानूनी विषयों पर विधान सभा में कामकाज हो. हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का जीवन बहुत उत्कृष्ट हो. सभी सदस्य अपनी जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन सदन के माध्यम से कर सकें और अनेक जनकल्याण के मुद्दे जो उठाने की हमारी जिम्मेदारी है. हाऊस ज्यादा चलेगा तो निश्चित रूप से उसे हम उठा पाएंगे इसी के साथ पुन: आप सबको बहुत-बहुत बधाई और बहुत-बहुत शुभकामना देता हूं.''

## 5. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) **श्री राजेन्द्र शुक्ल, उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा** ने भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण मध्यप्रदेश के 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष हेतु मध्यप्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण, मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2023-24 पटल पर रखे.

(2) **श्रीमती संपतिया उइके, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री** ने मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित का नौवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 (01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021) एवं दसवां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2021-22 (01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च 2022) पटल पर रखे.

(3) **श्री नरेद्र शिवाजी पटेल, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री** ने मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड का 22वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2023-24 पटल पर रखा.

(4) **श्री विश्वास कैलाश सारंग, सहकारिता मंत्री** ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 58 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) की अपेक्षानुसार-

(क) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2023-24,

(ख) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ मर्यादित, भोपाल (म.प्र.) का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2023-24,

(ग) मध्यप्रदेश राज्य पावरलूम बुनकर सहकारी संघ मर्यादित, बुरहानपुर (म.प्र.) का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2023-24,

(घ) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2023-24,

(ङ) मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2023-24 तथा

(च) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित, भोपाल का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2023-24 पटल पर रखे.

(5) **श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री** ने कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन्, 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार –

(क) भोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स मेन्युफेक्चरिंग पार्क लिमिटेड का छठवां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2021-22,

(ख) जबलपुर इलेक्ट्रॉनिक्स मेन्युफेक्चरिंग पार्क लिमिटेड का छठवां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2021-22 तथा

(ग) मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 38 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2021-22 पटल पर रखे.

(6) **श्री लखन पटेल, पशुपालन एवं डेयरी राज्यमंत्री** ने मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के वार्षिक लेखे वर्ष क्रमश: 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 पटल पर रखे.

(7) **श्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री** ने निम्नलिखित अधिसूचनाएं -

(i) क्रमांक 6048-2018-दो-सी-एक्स, दिनांक 07 अगस्त 2024 तथा

(ii) क्रमांक एफ-1-172-2021-दो-सी-एक्स., दिनांक 07 अगस्त 2024

पटल पर रखीं.

(8) **श्री दिलीप अहिरवार, राज्यमंत्री वन** ने -

(क) जिला खनिज प्रतिष्ठान, जिला पन्ना एवं नीमच के वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2023-24 तथा

(ख) डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2022-23

पटल पर रखे.

(अपराह्न 1.24 बजे से 3.04 बजे तक अंतराल)

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

## 6. ध्यानाकर्षण

(1) **श्रीमती अर्चना चिटनीस, सदस्य ने** बुरहानपुर स्थित पं. शिवनाथ शास्त्री शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय में अनियमितता किये जाने की ओर आयुष मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री इन्दर सिंह परमार, आयुष मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

(2) **श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे, सदस्य ने** प्रदेश के वेयर हाऊस के देयकों का भुगतान न होने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री गोविन्द सिंह राजपूत, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया. सर्वश्री अजय विश्नोई एवं अभय मिश्रा सदस्यगण ने भी चर्चा में भाग लिया.

## 7. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

अध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 210-राऊ से निर्वाचित सदस्य, श्री महादेव वर्मा (मधु वर्मा) को विधान सभा के दिसम्बर, 2024 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की.

## 8. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) **श्री हरदीप सिंह डंग, सभापति ने** याचिका एवं अभ्यावेदन समिति का याचिकाओं से संबंधित प्रथम, द्वितीय एवं कार्यान्वयन से संबंधित प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा अभ्यावेदनों से संबंधित इकतीसवां एवं बत्तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

(2) **श्री अजय विश्नोई, सभापति ने** प्राक्कलन समिति का प्रथम एवं द्वितीय कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

(3) **श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, सभापति ने** प्रश्न एवं संदर्भ समिति का प्रथम एवं द्वितीय कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

(4) **श्री दिलीप सिंह परिहार, सभापति ने** कृषि विकास समिति का प्रथम एवं द्वितीय कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

## 9. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 16 दिसम्बर, 2024 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों, वित्तीय कार्य एवं नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर चर्चा के लिये उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है :-

| क्रमांक | विषय | आवंटित समय |
|---|---|---|
| 1. | मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 20 सन् 2024) | 10 मिनिट |
| 2. | मध्यप्रदेश विधान सभा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 21 सन् 2024 ) | 10 मिनिट |
| 3. | मध्यप्रदेश माँ शारदा देवी मंदिर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 22 सन् 2024) | 15 मिनिट |
| 4. | मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 23 सन् 2024) | 30 मिनिट |
| 5. | मध्यप्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 24 सन् 2024) | 30 मिनिट |
| 6. | मध्यप्रदेश जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 25 सन् 2024) | 1 घण्टा |
| 7. | मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 26 सन् 2024) | 30 मिनिट |
| 8. | मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय विधि संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 27 सन् 2024) | 15 मिनिट |
| 9. | वर्ष 2024-2025 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण पर चर्चा. | 4 घण्टे |
| 10. | प्रदेश में किसानों को रबी फसल हेतु खाद नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष की नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर चर्चा. | 1 घण्टा 30 मिनिट |

श्री राजेन्द्र शुक्ल, उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अभी अध्यक्ष महोदय ने जिन शासकीय विधेयकों, वित्तीय कार्य एवं नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर चर्चा के लिये समय निर्धारण करने के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़ कर सुनाईं, उन्हें सदन स्वीकृति देता है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

## 10. वर्ष 2024-25 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

**श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) ने** राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार, वर्ष 2024-25 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया.

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पर चर्चा और मतदान के लिए दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 को 4 घन्टे का समय नियत किया गया.

## 11. याचिकाओं की प्रस्तुति.

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार आज की कार्य सूची में सम्मिलित सभी याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी गईं.

(1) **श्री घनश्याम चन्द्रवंशी (जिला-**शाजापुर)
(2) **इंजी. हरिबाबू राय (जिला-**अशोकनगर)
(3) **श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर (जिला-**निवाड़ी)
(4) **श्री फूलसिंह बरैया (जिला-**दतिया)
(5) **श्री कैलाश कुशवाहा (जिला-**शिवपुरी)
(6) **डॉ. हिरालाल अलावा (जिला-**धार)
(7) **श्री यादवेन्द्र सिंह (जिला-**टीकमगढ़)
(8) **श्री वीरसिंह भूरिया (जिला-**झाबुआ)
(9) **श्री रजनीश हरवंश सिंह (जिला-**भोपाल शहर)
(10) **श्री महेन्द्र नागेश (जिला-**नरसिंहपुर)
(11) **डॉ. चिंतामणि मालवीय (जिला-**रतलाम)
(12) **श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह (जिला-**पन्ना)
(13) **श्री विपीन जैन (जिला-**मंदसौर शहर)
(14) **श्री आतिफ आरिफ अकील (जिला-**भोपाल शहर)
(15) **डॉ. सतीश सिकरवार (जिला-**ग्वालियर)
(16) **श्री पंकज उपाध्याय (जिला-**मुरैना)
(17) **श्री दिनेश राय 'मुनमुन' (जिला-**सिवनी नगर)
(18) **श्रीमती सेना महेश पटेल (जिला-**अलीराजपुर)
(19) **श्री श्रीकांत चतुर्वेदी (जिला-**मैहर)
(20) **श्री बाला बच्चन (जिला-**बड़वानी)
(21) **श्री मथुरालाल डामर (जिला-**रतलाम)
(22) **श्री प्रणय प्रभात पांडे (जिला-**कटनी)
(23) **श्री प्रहलाद लोधी (जिला-**पन्ना)
(24) **श्री बिसाहूलाल सिंह (जिला-**अनूपपुर)
(25) **श्री कामाख्या प्रताप सिंह (जिला-**छतरपुर)
(26) **श्री श्याम बरडे (जिला-**बड़वानी)

(27) **श्री दिनेश जैन बोस (जिला-**उज्जैन)
(28) **श्री मधु भाऊ भगत (जिला-**बालाघाट)
(29) **श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-**नीमच)
(30) **श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे (जिला-**भिण्ड)
(31) **श्री नारायण सिंह 'पट्टा' (जिला-**मण्डला)
(32) **श्री प्रदीप अग्रवाल (जिला-**दतिया)
(33) **श्री राजेश कुमार वर्मा (जिला-**पन्ना)
(34) **श्री प्रताप ग्रेवाल (जिला-**धार)
(35) **श्री शैलेन्द्र कुमार जैन (जिला-**सागर)
(36) **डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय (जिला-**रतलाम)
(37) **श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी (जिला-**खरगोन)
(38) **श्री मोन्टू सोलंकी (जिला-**बड़वानी)
(39) **श्री राजन मण्डलोई (जिला-**बड़वानी)
(40) **श्री कमलेश्वर डोडियार (जिला-**रतलाम)
(41) **श्री उमाकांत शर्मा (जिला-**विदिशा)
(42) **श्री गोपाल सिंह इंजीनियर (जिला-**सीहोर)
(43) **श्री सुरेश राजे (जिला-ग्वालियर)**
(44) **सुश्री रामश्री राजपूत (जिला-छतरपुर)**
(45) **श्री अनिल जैन (जिला-**निवाड़ी)
(46) **श्री अभय मिश्रा (जिला-**रीवा)
(47) **श्री गौरव सिंह पारधी (जिला-**बालाघाट)
(48) **कुँवर अभिजीत शाह (जिला-**हरदा)
(49) **श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल (जिला-**धार)

## 12. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि - जिन माननीय सदस्यों ने शून्यकाल की सूचनाएं आज दी हैं, अन्त में वे सब लोग उपस्थित रहें. उन सूचनाओं को वे आज सदस्य पढ़ेंगे.

## 13. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) **श्री दिलीप अहिरवार, राज्यमंत्री औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन ने** मध्यप्रदेश जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 25 सन् 2024) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(2) **श्री उदय प्रताप सिंह, स्कूल शिक्षा मंत्री ने** मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 26 सन् 2024) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(3) **श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी, राज्यमंत्री धार्मिक न्यास और धर्मस्व** ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश मां शारदा देवी मंदिर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 22 सन् 2024) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री बाला बच्चन
(2) श्री श्रीकांत चतुर्वेदी
(3) श्री फूलसिंह बरैया
(4) डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह
(5) श्री कैलाश कुशवाहा

(6) श्री सोहनलाल बाल्मीक

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 से 5 इस विधेयक का अंग बना.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

**श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी** ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश मां शारदा देवी मंदिर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 22 सन् 2024) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(4) **श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री** ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय विधि संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 27 सन् 2024) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) डॉ. हिरालाल अलावा
(2) श्री दिनेश जैन बोस
(3) श्री बाला बच्चन
(4) डॉ. राम किशोर दोगने
(5) श्री ओमकार सिंह मरकाम

(भाषण के मध्य व्यवधान के कारण 4.22 बजे से 4.28 बजे तक कार्यवाही स्थगित की गई)

**अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.**

(6) श्री राजन मंडलोई

**श्री इन्दर सिंह परमार** ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

**श्री इन्दर सिंह परमार** ने प्रस्ताव किया कि-

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय विधि संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 27 सन् 2024) ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 3 सन् 2019) पारित किया जाए.

सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

## 14. नियम 267-क के अधीन विषय (क्रमश:)

(1) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य ने नर्मदापुरम् जिले के इटारसी में फ्लाई ओवर निर्माण हेतु अधिग्रहित भूमि का मुआवजा न मिल पाने,

(2) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य ने टीकमगढ़ नगर में ग्राम निवेश अधिनियम के प्रावधानों का उल्लघंन अवैध कॉलोनियों का निर्माण होने,

(3) श्री अभय मिश्रा, सदस्य ने रीवा जिले में किसान कल्याण तथा कृषि सिंचाई योजना प्रारंभ न किए जाने,

(4) श्री बाला बच्चन, सदस्य ने राजपुर विधानसभा क्षेत्र में स्कूली शिक्षकों की बेहद कमी होने,

(5) श्री बृजेन्द्र सिंह यादव, सदस्य ने गुना जिले के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. शाखा चंदेरी में हुए गबन होने,

(6) श्री उमंग सिंघार, सदस्य ने जिला भोपाल अतंर्गत मत्स्य विभाग के घोड़ा पछाड़ जलाशय के अनुबंध शर्तों के उल्लघंन से हानि होने,

(7) श्री प्रणय प्रभात पांडे, सदस्य ने कटनी की ग्राम पंचायत कुठिया मंहगवां के पंचायत सचिव द्वारा मजदूरी के भुगतान में भारी अनियमितता किए जाने,

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ीं.

अपराह्न 4.57 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 (27 अग्रहायण, शक संवत् 1946) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

-----------------

## बुधवार, दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 (अग्रहायण 27, 1946)

**विधान सभा पूर्वाह्न 11:02 बजे समवेत हुई.**

**अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.**

### 1. शपथ.

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-2, विजयपुर से उप चुनाव में निर्वाचित सदस्य श्री मुकेश मल्होत्रा, सदस्य ने शपथ ली, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर किए तथा सभा में अपना स्थान ग्रहण किया.

### 2. बधाई एवं शुभकामनाएं

आसंदी द्वारा सर्वश्री सुरेश राजे एवं मुकेश मल्होत्रा, सदस्यगण को जन्मदिन पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी गईं.

### 3. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 6 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1 से 6 तक) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये.

**सभापति महोदय (डॉ.राजेन्द्र पाण्डेय) पीठासीन हुए.**

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 178 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 214 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

**अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.**

### 4. अध्यक्षीय घोषणा

**अध्यक्ष महोदय द्वारा शून्यकाल की सूचनाएं अपराह्न में कार्यवाही के अंत में लिए जाने संबंधी घोषणा की गई.**

### 5. गर्भगृह में प्रवेश एवं नारेबाजी के कारण व्यवधान से कार्यवाही स्थगित होना तथा औचित्य के प्रश्न पर अध्यक्षीय व्यवस्था

**जो इस सदन का सदस्य नहीं है उनके संबंध में नेता प्रतिपक्ष द्वारा टिप्पणी की अनुमति न दिए जाने संबंधी व्यवस्था.**

शून्यकाल में मौखिक उल्लेख के समय श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष सहित कांग्रेस पक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा विगत दिवस राज्य सभा में एक मंत्री महोदय द्वारा कथित शब्दावली को लेकर विरोध प्रकट किया गया. डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इस पर आपत्ति व्यक्त की गई.

आसंदी द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि :- ‘‘ आप सब अपने आसनों पर जाये. ऐसी कोई भी बात सदन में नहीं कहनी चाहिए. यह विलोपित किया जाए. आप लोग इस बात को भलीभांति जानते है कि इस विषय को सदन में नहीं लाया जा सकता है, जो सदस्य सदन में जवाब देने की स्थिति में नहीं है, उसके नाम का उल्लेख भी यहां नहीं होना चाहिये. इसलिये जो बात अभी आई है, इसको विलोपित किया जाता है. ’’

सदन में परस्पर टीका टिप्पणी के कारण व्यवधान हुआ. इसी दौरान विपक्ष और सत्ता पक्ष के अनेक सदस्यगण भी गर्भगृह में आकर नारेबाजी करने लगे. कार्यवाही में शोरगुल एवं व्यवधान के कारण अपराह्न 12.03 बजे 10 मिनट के लिए स्थगित की जाकर 12.18 बजे पुन: समवेत हुई.

## अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री एवं श्री प्रहलाद पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, श्री विश्वास सारंग, सहकारिता मंत्री एवं श्री भंवर सिंह शेखावत, सदस्य द्वारा औचित्य का प्रश्न उठाया गया कि – सदन की यह परम्परा रही है कि कभी भी किसी दूसरे सदन की चर्चा नहीं की जाती है. किन्तु यहां बिना तथ्य और आसंदी की अनुमति लिए टिप्पणियां की गई. इसलिए इस पर आसंदी द्वारा कार्यवाही करते हुए व्यवस्था दी जाय.

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि-'' मैं समझता हूं कि जो भी परिस्थिति एकाएक उत्पन्न हुई, यह बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है. यह सदन चर्चा के लिये है और चर्चा नियम और प्रक्रियाओं के माध्यम से होती है. हम सभी विधान सभा के माननीय सदस्य हैं, प्रदेश की जनता का नेतृत्व करने के लिये यहां उपस्थित हुए हैं और इसलिये हमारी पहली जिम्मेवारी है कि सारे नियम और प्रक्रिया का पालन हम करें. हम सब इस बात को जानते हैं बहुत सारे वरिष्ठ सदस्य बैठें हैं. दूसरे सदन की चर्चा अथवा किसी ऐसे सदस्य के नाम का उल्लेख, जो सदन में जवाब देने के लिये नहीं आ सकता, यह सामान्य तौर पर चर्चा नहीं होती है. इसलिये जो परिस्थिति खड़ी हुई, सदन अच्छे से चल रहा था और सबकी इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा समय सदन चले. चर्चा के लिये भी आप सब इस बात को महसूस करते होंगे कि सबको समान अवसर दिया जा रहा है और आगे भी दिया जायेगा. इसमें किसी प्रकार की किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है.

आज भी बजट पर चर्चा है, बहुत सारे विषयों को उसमें लाया जा सकता है. कल भी चर्चा का अवसर हम सब लोगों को मिलेगा. प्रश्नकाल में ध्यानाकर्षण में चर्चा का अवसर मिल ही रहा है. इसमें सभी लोग अच्छे से जानते हैं. इसलिये आज जो घटनाक्रम हुआ मैं उसको पूरा कार्यवाही से विलोपित करना चाहता हूं और वह विलोपित किया जाये और आगे से हम सब लोग नियम प्रक्रिया, मर्यादाएं इनका पालन करें. ऐसी मेरी आप सभी से अपेक्षा है. ''

## 6. शासकीय वक्तव्य

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री द्वारा '' संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना'' के संबंध में वक्तव्य दिया गया. इस पर आसंदी तथा श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा भी संक्षिप्त विचार व्यक्त किए गए.

## 7. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) ने -

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार-

(i) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन नगरीय स्थानीय निकायों में अपशिष्ट प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा- मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2024 का प्रतिवेदन क्रमांक-2,

(ii) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन अनुपालन लेखापरीक्षा (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए- मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या-3,

(iii) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन मध्यप्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के कार्यान्वयन पर 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन- मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या-4,

(iv) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकीकृत वित्तीय सूचना प्रणाली- मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2024 का प्रतिवेदन क्रमांक-5 (निष्पादन लेखा परीक्षा-सिविल),

(v) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लोक स्वास्थ्य अधोसंरचना एवं स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन- मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या-6 (निष्पादन लेखा परीक्षा-सिविल),

(vi) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का मध्यप्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की कार्यप्रणाली पर प्रतिवेदन 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए- मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या-7 (निष्पादन लेखा परीक्षा-वाणिज्यिक),

(vii) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन- मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या-8 (अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल),

(viii) मध्यप्रदेश सरकार के वित्त लेखे वर्ष 2023-24 के खण्ड-I एवं II तथा विनियोग लेखे वर्ष 2023-24, एवं

(ix) नगरीय निकायों पर संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा मध्यप्रदेश का वार्षिक संपरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2020-21

(ख) मध्यप्रदेश वित्त निगम का 69 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24,

(ग) मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 (क्रमांक 18 सन्, 2005) की धारा 11 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार-

(i) वित्तीय वर्ष 2023-24 की द्वितीय छ: माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छ: माही समीक्षा विवरण, एवं

(ii) वित्तीय वर्ष 2024-25 की प्रथम छ: माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छ: माही समीक्षा विवरण, तथा

(घ) वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 की अनुपालन एवं पुनर्विलोकन रिपोर्ट पटल पर रखे.

(2) श्री एदल सिंह कंषाना, किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ने राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) की वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2021-22 (संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा प्रेषित प्रमुख आपत्तियां, स्पष्टीकरण हेतु उत्तर एवं प्रमण्डल की टिप्पणियां) पटल पर रखीं.

(3) श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी, राज्यमंत्री पर्यटन ने मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित का 41वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19 पटल पर रखा.

(4) श्री लखन पटेल, राज्यमंत्री पशुपालन एवं डेयरी ने मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का उन्नीसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष (31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए) पटल पर रखे.

(5) श्री दिलीप अहिरवार, राज्यमंत्री पर्यावरण ने मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 पटल पर रखा.

## 8. ध्यानाकर्षण

(1) श्री रजनीश हरवंश सिंह, सदस्य ने प्रदेश में आदिवासी बस्ती विकास योजना के अंतर्गत राशि का आवंटन न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर जनजातीय कार्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. डॉ. कुंवर विजय शाह, जनजातीय कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया. श्री ओमकार सिंह मरकाम, सदस्य ने भी चर्चा में भाग लिया.

(2) डॉ. अभिलाष पाण्डेय, सदस्य ने प्रदेश में साइबर अपराध पर अंकुश न लगने से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया. श्री बाला बच्चन, सदस्य ने भी चर्चा में भाग लिया.

## 9. अनुपस्थिति की अनुज्ञा.

अध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 133-भैंसदेही (अ.ज.जा.) से निर्वाचित सदस्य, श्री महेन्द्र केशरसिंह चौहान को विधान सभा के दिसम्बर, 2024 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की.

## 10. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति.

(1) श्री भंवर सिंह शेखावत, सभापति ने लोक लेखा समिति का प्रथम से उन्नीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

(2) श्री हरिशंकर खटीक, सभापति ने शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

(3) श्री बिसाहूलाल सिंह, सभापति ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण संबंधी समिति का षष्टम एवं सप्तम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

## 11. याचिकाओं की प्रस्तुति.

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों की सभी याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी गईं :-

(1) श्री फूलसिंह बरैया (जिला- दतिया)
(2) श्री रजनीश हरवंश सिंह (जिला-सिवनी)
(3) श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर (जिला-निवाड़ी)
(4) श्री घनश्याम चन्द्रवंशी (जिला-शाजापुर)
(5) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह (जिला-पन्ना)
(6) श्री कैलाश कुशवाह (जिला-शिवपुरी)
(7) श्री यादवेन्द्र सिंह (जिला-टीकमगढ़)
(8) डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह (जिला-मैहर)
(9) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल (जिला-धार)
(10) श्री विपीन जैन (जिला-मंदसौर)
(11) श्री आतिफ आरिफ अकील (जिला-भोपाल शहर)
(12) श्री कमलेश्वर डोडियार (जिला-रतलाम)
(13) श्री चैन सिंह बरकड़े (जिला-मण्डला)
(14) श्री नारायण सिंह 'पट्टा' (जिला-मण्डला)
(15) श्री संतोष बरकड़े (जिला-जबलपुर)
(16) डॉ. हिरालाल अलावा (जिला-धार)
(17) श्री प्रहलाद लोधी (जिला-पन्ना)
(18) श्री दिनेश राय (जिला-सिवनी)
(19) श्री अनिल जैन (जिला-निवाड़ी)
(20) श्री प्रताप ग्रेवाल (जिला-धार)
(21) श्री श्याम बरडे (जिला-बड़वानी)
(22) श्री प्रदीप पटेल (जिला-मऊगंज)
(23) श्री नीरज सिंह ठाकुर (जिला-जबलपुर)
(24) डॉ. चिंतामणि मालवीय (जिला-रतलाम)
(25) श्री बाबू जण्डेल (जिला-श्योपुर)
(26) श्री सोहनलाल बाल्मीक (जिला-छिंदवाड़ा)
(27) श्री दिनेश जैन बोस (जिला-उज्जैन)
(28) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय (जिला-रतलाम)
(29) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन (जिला-सागर)
(30) श्री भगवानदास सबनानी (जिला-भोपाल)
(31) श्रीमती सेना महेश पटेल (जिला-अलीराजपुर)
(32) श्री श्रीकांत चतुर्वेदी (जिला-मैहर)
(33) श्री मुकेश टण्डन (जिला-विदिशा)
(34) श्री लखन घनघोरिया (जिला-जबलपुर)
(35) श्री रमेश प्रसाद खटीक (जिला-शिवपुरी)
(36) श्री मधु भाऊ भगत (जिला-बालाघाट)
(37) श्री बाला बच्चन (जिला-बड़वानी)
(38) डॉ. सतीश सिकरवार (जिला-ग्वालियर शहर)
(39) श्री मोन्टू सोलंकी (जिला-बड़वानी)
(40) श्री राजेन्द्र भारती (जिला-दतिया)
(41) श्री प्रणय प्रभात पांडे (जिला-कटनी)
(42) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर (जिला-टीकमगढ़)

(43) सुश्री रामश्री राजपूत (जिला-छतरपुर)
(44) श्रीमती अनुभा मुंजारे (जिला-बालाघाट)
(45) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी (जिला-खरगोन)
(46) श्री प्रेमशंकर वर्मा (जिला-नर्मदापुरम)
(47) श्री मथुरालाल डामर (जिला-रतलाम)
(48) श्री राजेश कुमार वर्मा (जिला-पन्ना)
(49) श्रीमती ललिता यादव (जिला-छतरपुर)
(50) श्री सुरेश राजे (जिला-ग्वालियर)
(51) श्री कामाख्या प्रताप सिंह (जिला-छतरपुर)
(52) श्री केशव देसाई (जिला-भिण्ड)
(53) श्री बिसाहूलाल सिंह (जिला-अनूपपुर)
(54) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह (जिला-भिण्ड)
(55) इंजी. प्रदीप लारिया (जिला-सागर)
(56) श्री कालूसिंह ठाकुर (जिला-धार)
(57) श्री गौरव सिंह पारधी (जिला-बालाघाट)
(58) श्री प्रदीप अग्रवाल (जिला-दतिया)
(59) श्री उमाकांत शर्मा (जिला-विदिशा)
(60) श्री राजन मण्डलोई (जिला-बड़वानी)
(61) श्री दिनेश गुर्जर (जिला-मुरैना)
(62) श्री पंकज उपाध्याय (जिला-मुरैना)
(63) डॉ. रामकिशोर दोगने (जिला-हरदा)
(64) श्री गोपाल सिंह इंजीनियर (जिला-सीहोर)
(65) श्री भैरोसिंह बापू (जिला-आगर-मालवा)
(66) कुंवर अभिजीत शाह (जिला-हरदा)
(67) श्री अमरसिंह यादव (जिला-राजगढ़)
(68) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
(69) श्री विवेक (विक्की) पटेल (जिला-बालाघाट)
(70) श्री साहब सिंह गुर्जर (जिला-ग्वालियर)
(71) श्री ठाकुरदास नागवंशी (जिला-नर्मदापुरम)
(72) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव (जिला-खरगोन)
(73) श्री अभय मिश्रा (जिला-रीवा)
(74) श्री केदार चिड़ाभाई डावर (जिला-खरगोन)
(75) श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे (जिला-भिण्ड)

## 12. शासकीय विधि विषयक कार्य.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वाणिज्यिक कर) ने मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 29 सन् 2024) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

## 13. वर्ष 2024-25 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि परम्परानुसार, अनुपूरक मांगों की चर्चा में सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत की जाकर उन पर एक साथ चर्चा होती है, अत: वित्त मंत्री द्वारा सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत की जाएं.

तद्नुसार, श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि -

" दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 47, 48, 49, 54 एवं 55 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर बाईस हजार दो सौ चौबीस करोड़, तिरानवे लाख, पांच हजार, नौ सौ इक्कीस रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये. "

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे

**(अपराह्न 1.31 बजे से 3.05 बजे तक अंतराल)**

**{अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए. }**

(2) डॉ. सीतासरन शर्मा

**{सभापति महोदय (श्री अजय विश्नोई) पीठासीन हुए.}**

(3) श्री ओमकार सिंह मरकाम
(4) श्री लखन घनघोरिया
(5) श्री शैलेन्द्र जैन
(6) श्री अभय मिश्रा
(7) श्री आरिफ मसूद
(8) श्री ओमप्रकाश सखलेचा
(9) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को
(10) श्री फूलसिंह बरैया
(11) श्री गौरव सिंह पारधी
(12) श्री सोहनलाल बाल्मीक

**{अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए. }**

## 14. अध्यक्षीय घोषणा

### सदन के समय में वृद्धि एवं माननीय सदस्यों हेतु चाय की व्यवस्था.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से आज की कार्य सूची में सम्मिलित विषय पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि वृद्धि की गई. माननीय सदस्यों के लिये लॉबी में चाय की व्यवस्था की गई है. मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है कि अपने-अपने क्षेत्र की एक-दो बातें रखकर इस कार्यवाही को पूर्ण करने में सहयोग प्रदान करें.

## 15. वर्ष 2024-25 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(13) श्रीमती गायत्री राजे पवार
(14) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी
(15) डॉ. चिंतामणि मालवीय
(16) डॉ.रामकिशोर दोगने
(17) डॉ. आशीष गोविंद शर्मा
(18) श्री महेश परमार
(19) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय

(20) श्री नारायण सिंह 'पट्टा'
(21) श्री प्रेमशंकर कुन्जीलाल वर्मा
(22) डॉ. विक्रांत भूरिया

{सभापति महोदय (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय) पीठासीन हुए.}

(23) श्री अनिरूद्ध माधव'मारू'

{अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.}

(24) श्रीमती अनुभा मुंजारे
(25) श्री सुरेश राजे
(26) श्रीमती सेना महेश पटेल
(27) श्री पंकज उपाध्याय
(28) श्री विजय रेवनाथ चौरे

## 16. अध्यक्षीय व्यवस्था

### अनुपूरक बजट पर निर्धारित समयावधि में चर्चा पूर्ण की जाना.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि अनुपूरक बजट पर चर्चा अपराह्न 1.20 बजे प्रारंभ हुई थी अभी 7.01 हैं. चर्चा के लिये 4 घंटे तय थे. उससे भी अधिक समय हो गया है. इसलिये (श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष की सदन में अनुपस्थितिवश) मैं अब माननीय वित्त मंत्री जी को आमंत्रित करता हूं.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री वित्त द्वारा चर्चा का उत्तर देना प्रारंभ किया गया.

## 17. गर्भगृह में प्रवेश

डॉ. हिरालाल अलावा एवं श्री कैलाश कुशवाह सहित इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा अनुपूरक बजट पर चर्चा में भाग लेने का और अधिक अवसर देने की मांग करते हुए गर्भगृह में प्रवेश किया गया.

## 18. अध्यक्षीय व्यवस्था (क्रमश:)

पुन: व्यवधान होने पर अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि – " माननीय सदस्यगण भलीभांति जानते हैं कि विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 153 (2) में स्पष्ट उल्लेख है कि, पहले निश्चित समय पर मेरे द्वारा अनुदान मांगों के संबंध में प्रश्न, चर्चा पूर्ण करने के लिए रखा जाएगा और इसी परिप्रेक्ष्य में यह रखा गया. प्रतिपक्ष की ओर से 21 माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी. समय पूर्ण होने के बाद मैंने वित्तमंत्री जी को आमंत्रित किया. कार्यवाही अब आगे बढ गई है. मेरा आपसे आग्रह है कि सदन की कार्यवाही चलने दे.

हम सब लोगों ने मिलकर ही तय किया था कि बजट पर 4 घंटे चर्चा की जाएगी, यह भी बात बार-बार हुई कि 4 घंटे में पूरा किया जाएगा. 4 घंटे से अधिक समय तक चर्चा हुई है. सब सदस्यों ने भाग लिया है. प्रतिपक्ष की ओर से 21 सदस्य बोले हैं और 4 घंटे से अधिक हो गये हैं. हम सब इस बात को जानते हैं कि समय पूर्ण होने के बाद फिर वित्त मंत्री जी का जवाब होता है, उनको आमंत्रित किया जाता है, उसके बाद

चर्चा पूर्ण होती है. मेरा आप सब से अनुरोध है कि कृपया कार्यवाही के संचालन में योगदान दें. मेरा सहयोग करें. कृपा करके अपने आसन पर बैठें. वित्त मंत्री का जवाब पूर्ण होने दें. ”

श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष द्वारा आसंदी से बजट पर बोलने हेतु अनुरोध किया गया. श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा निवेदन किया गया कि परम्परानुसार नेता प्रतिपक्ष महोदय को बोलने का अवसर मिलना चाहिये किन्तु वह तत्समय सदन में उपस्थित नहीं थे.

श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री द्वारा चर्चा का उत्तर देना प्रारंभ किया गया. इस पर विपक्ष के सदस्यगण द्वारा पुन: व्यवधान के कारण 7.17 बजे से कार्यवाही स्थगित की जाकर 7.33 बजे पुन: समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.}

## 19. वर्ष 2024-25 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान (क्रमश:)

श्री उमंग सिंघार, श्री नेता प्रतिपक्ष द्वारा संक्षिप्त भाषण दिया गया और श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) ने चर्चा का उत्तर पूर्ण किया गया.

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

## 20. शासकीय विधि विषयक कार्य.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक- 6) विधेयक, 2024 (क्रमांक 28 सन् 2024) पुर:स्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि विधेयक पर विचार किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

खण्ड 2,3 तथा अनुसूची इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जगदीश देवड़ा ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक- 6) विधेयक, 2024 (क्रमांक 28 सन् 2024) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

## 21. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से की गई घोषणानुसार -

(1) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे, सदस्य ने भिण्ड जिले की कृषि उपज मंडी मेहगांव के सहायक उप निरीक्षक का वेतन भुगतान न होने,

(2) श्री अजय अर्जुन सिंह, सदस्य ने सिंगरौली जिले के ग्राम घिरौली में बगैर मुआवजा दिये ही सड़क हेतु भूमि का अधिग्रहण किए जाने,

(3) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन, सदस्य ने प्रदेश में वृद्धा, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन में वर्तमान महंगाई को दृष्टिगत वृद्धि की जाने,

(4) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य ने ऑपरेशन ब्लेक बोर्ड योजना अतंर्गत शिक्षकों को वरिष्ठता/क्रमोन्नति / समयमान वेतनमान का भेद भाव पूर्ण व्यवहार किए जाने,

(5) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा, सदस्य ने शहडोल जिले की ग्राम भमरहा द्वितीय में हैवी ब्लास्टिंग पर रोक लगाए जाने,

(6) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल, सदस्य ने उमरिया जिले के पटवारी हल्का दुब्बार में स्थित शासकीय भूमि पर अतिक्रमण होने,

(7) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक, सदस्य ने कटनी में श्रम न्यायालय खोले जाने,

(8) श्री माधव सिंह (मधु गहलोत), सदस्य ने जिला आगर मालवा में सिंचाई हेतु किसानों को पर्याप्त पानी न मिल पाने,

(9) श्री राजन मण्डलोई, सदस्य ने बड़वानी स्थित कन्या महाविद्यालय को प्रांरभ न किए जाने,

(10) डॉ.राजेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य ने मैहर जिले के ग्राम पठरा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुईं मानी गईं.

अपराह्न 7.57 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 (28 अग्रहायण, शक संवत् 1946) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

-------------------------

# गुरुवार, दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 (अग्रहायण 28, 1946)

**विधान सभा पूर्वाह्न 11:01 बजे समवेत हुई.**

**अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.**

## 1. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित के निधन पर सदन की ओर से शोकोदगार व्यक्त किये गये : -

(1) श्री अग्नि चन्द्राकर, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(2) श्री सत्यभानु चौहान, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(3) श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री,
(4) उस्ताद जाकिर हुसैन, सुप्रसिद्ध तबला वादक.

तदुपरांत श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री एवं श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष द्वारा भी शोकोदगार व्यक्त किये गये. अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की ओर से शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की गई. सदन द्वारा कुछ समय मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

तत्पश्चात् दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 11.09 बजे से 10 मिनट के लिए स्थगित की जाकर 11.22 बजे विधान सभा पुन: समवेत हुई.

**अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.**

## 2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 10 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1 से 10 तक ) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 156 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 176 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

## 3. अध्यक्षीय घोषणा

**अध्यक्ष महोदय द्वारा शून्यकाल की सूचनाएं अपराह्न में कार्यवाही के अंत में लिए जाने संबंधी घोषणा की गई.**

## 4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री उदय प्रताप सिंह, परिवहन मंत्री ने परिवहन विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-
(क) क्रमांक एफ 22-02/2019/आठ, दिनांक 1 जनवरी, 2024,
(ख) क्रमांक 353-1813970/2024/आठ, दिनांक 23 फरवरी, 2024, एवं
(ग) क्रमांक एफ 22-13/2018/आठ, दिनांक 3 अक्टूबर, 2024 पटल पर रखीं.

(2) श्री लखन पटेल, राज्यमंत्री पशुपालन एवं डेयरी ने मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023 पटल पर रखा.

(3) श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने -
(क) मध्यप्रदेश प्रतिकारात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा) के वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2021-22 एवं 2022-23, तथा
(ख) मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, वर्ष 2023-24
पटल पर रखे.

## 5.शून्यकाल में मौखिक उल्लेख

### जनता के विकास कार्यों हेतु राशि आवंटन में कथित भेदभाव का आरोप लगाते हुए कांग्रेस सदस्यगण द्वारा वेतन समर्पण संबंधी अनुरोध किया जाना.

श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष द्वारा आसंदी से अनुरोध किया गया कि हमारे विधायक दल के साथियों ने तय किया है कि हमारे विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं, ट्रांसफार्मर, सीमेंट, क्रांकीट सड़क, शाला और चिकित्सालय के लिये पैसे नहीं मिल रहे हैं, हमें जनता के विकास के लिये पैसा चाहिए, उसमें भेदभाव हो रहा है. अन्यथा हम सभी को जो तनख्वाह मिलती है, वह हम सभी वापस ट्रेजरी में जमा कराना चाहते हैं, मेरा आपसे अनुरोध है और यह अभिलेख मैं पटल पर रख रहा हूं. इस पर सरकार विचार करे, हम आज से बिल्कुल बगैर वेतन के जनता के लिये काम करेंगे.

## 6. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि - विधानसभा की नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यानाकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं, परंतु सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के आग्रह को देखते हुए नियम को शिथिल करके मैंने आज की कार्यसूची में 6 सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है, मेरा अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हों केवल वे ही प्रश्न पूछकर इन ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर यथा शीघ्र कार्यवाही पूरी कराने में सहयोग प्रदान करें.

(1) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल, सदस्य ने कटनी नगर निगम अंतर्गत घण्टाघर से जगन्नाथ चौक सड़क मार्ग जर्जर होने की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

(2) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह, सदस्य ने भिण्ड जिले में विद्युत संकट की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री तुलसीराम सिलावट, जल संसाधन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

(3) श्री अभय मिश्रा, सदस्य ने रीवा जिले के सेमरिया थाना अंतर्गत एक व्यक्ति की हत्या किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया. सर्वश्री अजय सिंह एवं पंकज उपाध्याय, सदस्य ने भी चर्चा में भाग लिया.

(4) श्री कैलाश कुशवाह, सदस्य ने प्रदेश के कई आदिवासी जिलों में बच्चों में कुपोषण होने से उत्पन्न स्थिति की ओर महिला एवं बाल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. सुश्री निर्मला भूरिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

## 7. अध्यक्षीय घोषणा

### विशेषाधिकार भंग की सूचना को समिति को सौंपा जाना

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि – "मैने श्री दिनेश राय मुनमुन, सदस्य द्वारा संपादक, दैनिक महाकौशल एक्सप्रेस समाचार पत्र, सिवनी के विरूद्ध दी गई विशेषाधिकार भंग की सूचना को विशेषाधिकार समिति को जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु सौंप दिया है. कृपया सदन सूचित हो."

## 8. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

(1) इंजी. प्रदीप लारिया, सभापति द्वारा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार शुक्रवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 को चर्चा

के लिए आने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार करके अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नलिखित समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

| क्र. | अशासकीय संकल्प क्र. | प्रस्तावक सदस्य | निर्धारित समय |
|---|---|---|---|
| 1. | क्रमांक – 3, 10 | डॉ. रामकिशोर दोगने एवं श्री आशीष शर्मा | 30 मिनट |
| 2. | क्रमांक - 9 | श्री यादवेन्द्र सिंह | 30 मिनट |

इंजी. प्रदीप लारिया, ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(2) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक, सभापति द्वारा प्रत्यायुक्त विधान समिति का प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया.

## 9. शासकीय वक्तव्य

श्री प्रहलाद पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा श्रद्धेय अटल बिहारी बाजपेयी जी की जन्मशताब्दी के अवसर पर "अटल ग्राम सुशासन भवन" के निर्माण संबंधी वक्तव्य दिया.

## 10. अध्यक्षीय घोषणा

### विधेयक के भारसाधक सदस्य द्वारा माननीय संसदीय कार्य मंत्री को अधिकृत किया जाना.

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह घोषणा की गई कि - "आज की कार्यसूची के पद 7 के ऊपर 6 में अंकित विधेयक के भारसाधक सदस्य द्वारा उक्त विधेयक के संबंध में प्रस्ताव किये जाने हेतु माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को अधिकृत किेया गया है.

अत: मैं, विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली, के नियम- 66 के परन्तुक के अधीन माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को उक्त विधेयक पर प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करता हूं. "

## 11. याचिकाओं की प्रस्तुति.

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों की सभी याचिकाएं प्रस्तुत हुए मानी गई :-

(1) श्री फूलसिंह बरैया (जिला-सीहोर)
(2) श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर (जिला-निवाड़ी)
(3) श्री घनश्याम चन्द्रवंशी (जिला-शाजापुर)
(4) श्री रजनीश हरवंश सिंह (जिला-रतलाम)
(5) श्री कैलाश कुशवाह (जिला-शिवपुरी)
(6) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह (जिला-पन्ना)
(7) श्री राजेन्द्र भारती (जिला-दतिया)
(8) श्री दिनेश राय (जिला-सिवनी)
(9) श्री प्रहलाद लोधी (जिला-पन्ना)
(10) श्री केशव देसाई (जिला-भिण्ड)
(11) श्री सोहनलाल बाल्मीक (जिला-छिन्दवाड़ा)

(12) श्री नारायण सिंह 'पट्टा' (जिला-मण्डला)
(13) डॉ. हिरालाल अलावा (जिला-धार)
(14) श्री केदार चिड़ाभाई डावर (जिला-खरगोन)
(15) श्री चैन सिंह वरकड़े (जिला-मण्डला)
(16) श्री कमलेश्वर डोडियार (जिला-रतलाम)
(17) श्री अनिल जैन (जिला-निवाड़ी)
(18) श्री बाबू जण्डेल (जिला-श्योपुर)
(19) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन (जिला-सागर शहर)
(20) श्री मोन्टू सोलंकी (जिला-बड़वानी)
(21) श्री श्याम बरडे (जिला-बड़वानी)
(22) श्री पंकज उपाध्याय (जिला-मुरैना)
(23) श्री प्रताप ग्रेवाल (जिला-धार)
(24) डॉ. सतीश सिकरवार (जिला-ग्वालियर)
(25) श्री आतिफ आरिफ अकील (जिला-भोपाल शहर)
(26) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव (जिला-खरगोन)
(27) श्री उमाकांत शर्मा (जिला-विदिशा)
(28) श्री बिसाहूलाल सिंह (जिला-अनूपपुर)
(29) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय (जिला-रतलाम)
(30) श्री विपीन जैन (जिला-मंदसौर)
(31) श्री दिनेश जैन बोस (जिला-उज्जैन)
(32) श्री प्रदीप पटेल (जिला-मऊगंज)
(33) डॉ. रामकिशोर दोगने (जिला-हरदा)
(34) श्री दिनेश गुर्जर (जिला-मुरैना)
(35) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल (जिला-धार)
(36) श्रीमती सेना महेश पटेल (जिला-अलीराजपुर)
(37) श्री राजन मण्डलोई (जिला-बड़वानी)
(38) श्री देवेन्द्र रामनारायन सखवार (जिला-मुरैना)
(39) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी (जिला-खरगोन)
(40) श्री गोपाल सिंह इंजीनियर (जिला-सीहोर)
(41) श्रीमती ललिता यादव (जिला-छतरपुर)
(42) श्री रमेश प्रसाद खटीक (जिला-शिवपुरी)
(43) श्री श्रीकांत चतुर्वेदी (जिला-मैहर)
(44) श्री बृज बिहारी पटैरिया (जिला-सागर)
(45) श्री प्रणय प्रभात पांडे (जिला-कटनी)
(46) श्री अरविन्द पटैरिया (जिला-छतरपुर)
(47) श्रीमती अनुभा मुंजारे (जिला-बालाघाट)
(48) श्री कामाख्या प्रताप सिंह (जिला-छतरपुर)
(49) श्री मुकेश टंडन (जिला-विदिशा)
(50) श्री प्रदीप अग्रवाल (जिला-दतिया)
(51) श्री साहब सिंह गुर्जर (जिला-ग्वालियर)
(52) श्री मधु भाऊ भगत (जिला-बालाघाट)
(53) सुश्री रामश्री राजपूत (जिला-छतरपुर)
(54) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर (जिला-टीकमगढ़)
(55) श्री नीरज सिंह ठाकुर (जिला-जबलपुर)
(56) श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी (जिला-सागर)

(57) श्री गौरव सिंह पारधी (जिला-बालाघाट)
(58) श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे (जिला-भिण्ड)
(59) श्री भैरो सिंह बापू (जिला-आगर-मालवा)
(60) श्री विश्वनाथ सिंह पटैल (जिला-नरसिंहपुर)
(61) इंजी. प्रदीप लारिया (जिला-सागर)
(62) श्री कालुसिंह ठाकुर (जिला-धार)
(63) डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह (जिला-मैहर)
(64) श्री सुरेश राजे (जिला-ग्वालियर)
(65) श्री हजारीलाल दांगी (जिला-राजगढ़)
(66) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
(67) श्री अभय मिश्रा (जिला-रीवा)
(68) इंजी. हरिबाबू राय (जिला-अशोकनगर)
(69) कुंवर अभिजीत शाह (जिला-हरदा)
(70) श्री ऋषि अग्रवाल (जिला-गुना)

## 12. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वाणिज्यिक कर) ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 29 सन् 2024) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1)श्री ओमप्रकाश सखलेचा
(2)श्री ओमकार सिंह मरकाम
(3)श्री गौरव सिंह पारधी

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वाणिज्यिक कर) ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
खण्ड 2 से 36 इस विधेयक का अंग बने.
खण्ड 1 पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बना.

श्री जगदीश देवड़ा ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 29 सन् 2024) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(2) श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 20 सन् 2024) पर विचार किया जाय.

श्री ओमकार सिंह मरकाम, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया.

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना.
खण्ड 1, पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 20 सन् 2024) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ.

(3) श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विधान सभा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 21 सन् 2024) पर विचार किया जाय.

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना.
खण्ड 1, पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विधान सभा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 21 सन् 2024) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ.

**(अपराह्न 1.31 से 3.06 बजे तक अंतराल)**

**अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.**

## 13. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य ने नर्मदापुरम् जिले में सड़कें खराब गुणवत्ता और मंथर गति से बनाई जाने,
(2) श्री दिनेश राय मुनमुन, सदस्य ने सिवनी के स्कूलों में शिक्षकों की पदस्थापना के संबंध में अनियमितता बरती जाने,
(3) श्री कैलाश कुशवाहा, सदस्य ने प्रदेश में सड़कों की स्थिति अत्यंत दयनीय होने से सड़क दुर्घटनायें होने,
(4) डॉ; हीरालाल अलावा, सदस्य ने मनावर विधान सभा क्षेत्र के अजंदा स्थित शासकीय हाई स्कूल भवन की हालत जर्जर होने,
(5) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर, सदस्य ने छतरपुर की कृषि भूमि की खरीदी में क्रेताओं के नामों में पटवारी द्वारा शासकीय रिकार्ड में हेर-फेर किये जाने,
(6) श्री कमलेश्वर डोडियार, सदस्य ने रतलाम जिला अस्पताल में पदस्थ चिकित्सा अधिकारी द्वारा अभद्र व्यवहार किये जाने,
(7) श्री अभय मिश्रा, सदस्य ने रीवा जिले में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत स्वीकृत कार्यों मे सुदूर संपर्क/खेत सडक का निर्माण कार्य अधूरा बताये जाने एवं
(8) श्री नारायण सिंह पट्टा, सदस्य ने डिण्डोरी में कृषक हितकारियों को रवि फसल के लिये बीज वितरण में अनियमितता किये जाने

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं.

## 14. बहिर्गमन

**इंडियन नेशनल कांगेस के सदस्यगण द्वारा सदन से बहिर्गमन**

श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष द्वारा आज लोक सभा में कथित रूप से धक्का मुक्की संबंधी घटना का उल्लेख करने पर अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि - "नेता प्रतिपक्ष महोदय आप बहुत ही अनुभवी सदस्य हैं. आपको यह मालूम है कि दूसरे सदन के किसी भी विषय पर यहां चर्चा नहीं होती है. "

कांग्रेस पक्ष द्वारा उक्त घटना के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया.

श्री प्रहलाद पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री और श्री राकेश सिंह, लोक निर्माण मंत्री द्वारा आसंदी से औचित्य के प्रश्न के माध्यम से यह अनुरोध किया कि मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य

संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 एवं 251 में स्पष्ट उल्लेख है कि किसी दूसरे सदन का या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का उल्लेख नहीं कर सकते हैं. उन्होंने दोनों बातें की है. इसलिए आपसे प्रार्थना है कि इस कथन को कार्यवाही से निकाला जाना चाहिए.

अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त शब्दावली कार्यवाही से विलोपित करने के निर्देश दिए गए.

## 15. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश :)

(4) श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 23 सन् 2024) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री अभय मिश्रा
(2) श्री फूलसिंह बरैया
(3) श्री राजन मण्डलोई
(4) श्री सोहनलाल बाल्मीक
(5) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे

श्री कैलाश विजयवर्गीय ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

श्री हेमंत सत्यदेव कटारे, सदस्य द्वारा खण्ड 2 में एक संशोधन प्रस्तुत किया, जिस पर मंत्री महोदय द्वारा उत्तर दिया गया.

विचारोपरांत खण्ड 2 का संशोधन अस्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना.
खण्ड 1, पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 23 सन् 2024) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(5) श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 24 सन् 2024) पर विचार किया जाय.

आसंदी द्वारा सदन को सूचित किया गया कि – "मेरे पास चर्चा के लिए माननीय सदस्यगण द्वारा नाम नहीं दिए है."

श्री कैलाश विजयवर्गीय मंत्री ने संक्षिप्त भाषण दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
खण्ड 2 तथा 3 इस विधेयक का अंग बने.
खण्ड 1, पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बना.

श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 24 सन् 2024) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(6) श्री दिलीप अहिरवार, राज्यमंत्री वन ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 25 सन् 2024) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री ओमकार सिंह मरकाम
(2) श्रीमती रीती पाठक
(3) डॉ. हीरालाल अलावा
(4) डॉ. सीतासरन शर्मा
(5) श्री फूलसिंह बरैया
(6) श्री प्रहलाद सिंह पटेल
(7) श्री उमंग सिंघार

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
खण्ड 2 एवं 3 तथा अनुसूची इस विधेयक का अंग बने.
खण्ड 1, पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 25 सन् 2024) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(7) श्री उदय प्रताप सिंह, स्कूल शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 26 सन् 2024) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री फूलसिंह बरैया

{सभापति महोदय (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय) पीठासीन हुए.}

(2) डॉ. अभिलाष पाण्डेय
(3) श्री राजेन्द्र भारती
(4) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को
(5) श्री सोहनलाल बाल्मीक

## 16. अध्यक्षीय घोषणा.

### सदन के समय में वृद्धि विषयक.

सभापति महोदय द्वारा सदन की सहमति से आज की कार्य सूची में सम्मिलित कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की गई.

## 17. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

(6) श्री ओमकार सिंह मरकाम
(7) डॉ. रामकिशोर दोगने
(8) श्री राजन मण्डलोई
(9) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

(10) श्री भगवानदास सबनानी

श्री उदय प्रताप सिंह, स्कूल शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 से 7 इस विधेयक का अंग बना.
खण्ड 1, पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री उदय प्रताप सिंह ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 26 सन् 2024) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

## 18. गोवा मुक्ति दिवस की बधाई

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने आसंदी के माध्यम से सदन को जानकारी दी कि - "आज गोवा मुक्ति दिवस है और भारतीय जनसंघ ने गोवा मुक्ति के लिये आंदोलन किया था, जिसमें हमारे उज्जैन के एक प्रचारक थे राजा भाऊ महाकाल, वहां उन्होंने अपने प्राणों की आहूति दी थी. मैं उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं और गोवा की जनता को मध्यप्रदेश विधान सभा की ओर से बधाई भी देता हूं."

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि - "सदन भी उनके प्रति सम्मान प्रकट करता है."

## 19. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा.

### प्रदेश में किसानों को रबी फसल हेतु खाद नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा

प्रदेश में किसानों को रबी फसल हेतु खाद नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष द्वारा उठाई गई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यगण ने भाग लिया:--

(1) श्री बाला बच्चन
(2) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय
(3) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव
(4) श्री आशीष गोविन्द शर्मा
(5) श्री नितेन्द्र सिंह राठौर

{सभापति महोदया (श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी) पीठासीन हुए.}

(6) श्री दिव्यराज सिंह
(7) श्री दिनेश जैन (बोस)
(8) श्री गौरव सिंह पारधी
(9) श्री दिनेश गुर्जर
(10) श्री हरिशंकर खटीक
(11) श्री कैलाश कुशवाह
(12) श्री बाबू जण्डेल
(13) श्रीमती रीती पाठक
(14) श्री विपीन जैन
(15) श्री विवेक विक्की पटेल
(16) श्री अनिरूद्ध (माधव) मारू
(17) श्री मधु भगत
(18) श्री रजनीश हरवंश सिंह
(19) श्री प्रीतम लोधी

(20) डॉ. हीरालाल अलावा
(21) श्री साहब सिंह गुर्जर
(22) श्री मोंटू सोलंकी
(23) श्री चैन सिंह वरकडे
(24) श्री दिलीप सिंह परिहार
(25) श्री अभिजीत शाह
(26) श्री केशव देसाई
(27) श्री ऋषि अग्रवाल
(28) श्री अमर सिंह यादव
(29) श्री निलेश पुसाराम उईके
(30) श्री केदार चिडाभाई डाबर
(31) श्री राजेन्द्र भारती

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

## 20. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा (क्रमश:)

(32) श्री उमंग सिंघार, श्री एदल सिंह कंषाना, किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री तथा श्री विश्वास सारंग, सहकारिता मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

## 21. बहिर्गमन

प्रदेश में किसानों को रबी फसल हेतु खाद नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया.

अपराह्न 9.34 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 (29 अग्रहायण, शक संवत् 1946) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

---

# शुक्रवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 (अग्रहायण 29, 1946)

**विधान सभा पूर्वाह्न 11:03 बजे समवेत हुई.**

**अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.**

## 1. बधाई एवं शुभकामना

**मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष महोदय के कार्यकाल का एक वर्ष पूर्ण होने संबंधी विशेष उल्लेख**

आसंदी की अनुमति से श्री प्रहलाद पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने श्री नरेन्द्र सिंह तोमर माननीय अध्यक्ष के कार्यकाल के एक वर्ष पूर्ण होने के संबंध में उल्लेख किया कि मुझे सदन को बताते हुये गर्व हो रहा है कि आज माननीय विधान सभा अध्यक्ष जी के कार्यकाल का एक वर्ष पूरा हो गया है. इस अवसर पर मैं आपको अनंत शुभकामनाएं देता हूं कि आप ऐसे ही हम सबका मार्गदर्शन करते रहे.

श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष द्वारा भी नवाचारों का उल्लेख कर शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि विपक्ष की ओर से पूरा सहयोग आपको मिलता रहेगा, आपका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे.

## 2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 10 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 137 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 155 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

{सभापति महोदय (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय) पीठासीन हुए.}

{अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए. }

## 3. ध्यानाकर्षण

(1) **डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य ने** प्रदेश के गैर सरकारी संगठनों को अनुदान न दिये जाने की ओर महिला एवं बाल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. सुश्री निर्मला भूरिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

(2) **श्री उमंग सिंघार, सदस्य ने** धार जिले के टाण्डा क्षेत्र में सिंचाई परियोजना पर कार्यवाही न होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

**अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, कार्यसूची के पद 2 के उपपद (3) से (28) तक के सदस्यगण की निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्रीगण द्वारा वक्तव्य पढ़े हुए माने गए -**

(3) **श्री जगन्नाथ सिंह रघुवंशी, सदस्य की** चंदेरी क्षेत्र में आदिवासियों को मूलभूत सुविधा न मिलने संबंधी सूचना तथा जनजातीय कार्य मंत्री का वक्तव्य,

(4) **श्री कैलाश कुशवाह, सदस्य की** शिवपुरी जिले के कृषि उपज मंडी करेरा में फलों की बिक्री न होने संबंधी सूचना तथा किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री का वक्तव्य,

(5) **श्री महेश परमार, सदस्य की** विक्रम विश्वविद्यालय में अतिथि विद्वान के पद पर नियुक्ति दिये जाने में अनियमितता संबंधी सूचना तथा उच्च शिक्षा मंत्री का वक्तव्य,

(6) **डॉ. चिंतामणि मालवीय, सदस्य की** प्रदेश की लाड़ली बहनों को योजना का लाभ न दिये जाने संबंधी सूचना तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री का वक्तव्य,

(7) **इंजीनियर प्रदीप लारिया, सदस्य की** शासकीय इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेकनिक कालेजों में छात्रों की प्रवेश संख्या में कमी होने संबंधी सूचना तथा तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री का वक्तव्य,

(8) **श्रीमती अर्चना चिटनीस, सदस्य की** शासकीय उर्दू स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों के स्थानांतरण न किये जाने संबंधी सूचना तथा स्कूल शिक्षा मंत्री का वक्तव्य,

(9) **डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य की** हरदा जिले के रोलगांव स्थित भीलटदेव जन्म स्थली को विकसित न किये जाने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री संस्कृति का वक्तव्य,

(10) **श्री मोंटू सोलंकी, सदस्य की** सेंधवा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुहाला में भ्रष्टाचार की राशि वसूल न किये जाने संबंधी सूचना तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य,

(11) **श्री हेमंत सत्यदेव कटारे, सदस्य की** महाविद्यालयीन प्राध्यापकों को स्वीकृत ग्रेड-पे न दिये जाने संबंधी सूचना तथा उच्च शिक्षा मंत्री का वक्तव्य,

(12) **श्री बृजेन्द्र सिंह यादव, सदस्य की** जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक गुना शाखा चंदेरी द्वारा अमानतदारों की राशि का गबन किये जाने संबंधी सूचना तथा सहकारिता मंत्री का वक्तव्य,

(13) **श्री विपीन जैन, सदस्य की** प्रदेश के माध्यमिक एवं हाई स्कूलों में शिक्षकों के पद न भरे जाने संबंधी सूचना तथा स्कूल शिक्षा मंत्री का वक्तव्य,

(14) **श्री दिनेश राय, सदस्य की** सिवनी जिले में विद्युत समस्या का निराकरण न किये जाने संबंधी सूचना तथा ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य,

(15) **डॉ. अभिलाष पाण्डेय, सदस्य की** कौशल विकास संचालनालय का संचालन जबलपुर से न किये जाने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार का वक्तव्य,

(16) **श्री शैलेन्द्र कुमार जैन, सदस्य की** सेंट फ्रांसिस संस्था श्यामपुरा जिला सागर द्वारा बच्चों को प्रताड़ित किये जाने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य,

(17) **श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य की** दतिया जिले में आर.डी.एस.एस. योजनान्तर्गत विद्युत कार्य में अनियमितता होने संबंधी सूचना तथा ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य,

(18) **डॉ. हिरालाल अलावा, सदस्य की** प्रदेश में वन भूमि की रजिस्ट्री न होने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री वन का वक्तव्य,

(19) **श्री विजय रेवनाथ चौरे, सदस्य की** प्रदेश में आवारा पशुओं से जनहानि एवं फसलों को नुकसान होने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री पशुपालन एवं डेयरी का वक्तव्य,

(20) **श्री उमाकांत शर्मा, सदस्य की** विदिशा जिले में वनों की अवैध कटाई होने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री वन का वक्तव्य,

(21) **सर्वश्री प्रताप ग्रेवाल, हेमंत सत्यदेव कटारे, पंकज उपाध्याय, सदस्यगण की** भोपाल, देवास, जावरा, नयागांव तथा लेबड मार्ग पर टोल रोड अनुबंध में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य,

(22) **श्री फूलसिंह बरैया, सदस्य की** अनुसूचित जाति वर्ग के प्रकरणों के निराकरण हेतु सामान्य वर्ग के अधिकारी की नियुक्ति किये जाने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य,

(23) **श्री ओमकार सिंह मरकाम, सदस्य की** जबलपुर-अमरकंटक एवं डिण्डोरी-मंडला सड़क निर्माण के प्राक्कलन ठीक से न बनाये जाने संबंधी सूचना तथा लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य,

(24) **श्री उमंग सिंघार, सदस्य की** धार, बड़वानी जिले में जल जीवन मिशन कार्य में अनियमितता होने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का वक्तव्य,

(25) **श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य की** सागर जिले के खुरई अंतर्गत पुराने परिवहन चेक पोस्ट पर स्थायी चौकी बनाकर अवैध वसूली किये जाने संबंधी सूचना तथा परिवहन मंत्री का वक्तव्य,

(26) **श्री आरिफ मसूद, सदस्य की** प्रदेश में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाये जाने से नागरिकों में रोष होने संबंधी सूचना तथा ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य,

(27) **श्री दिनेश गुर्जर, सदस्य की** भिण्ड जिले के मुख्य नगरपालिका अधिकारी लहार द्वारा नियम विरूद्ध कार्य किये जाने संबंधी सूचना तथा नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का वक्तव्य तथा

(28) **श्री महेश परमार, सदस्य की** प्रदेश के पुलिस कर्मियों को सप्ताह में एक दिन का अवकाश न दिये जाने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य.

## 4. याचिकाओं की प्रस्तुति.

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों के सभी याचिकाएं प्रस्तुत हुईं मानी गई :-

(1) श्री फूलसिंह बरैया (जिला-दतिया)
(2) श्री रजनीश हरवंश सिंह (जिला-सिवनी)
(3) श्री कैलाश कुशवाह (जिला-शिवपुरी)
(4) श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर (जिला-निवाड़ी)
(5) श्री बाबू जण्डेल (जिला-श्योपुर)
(6) श्री राजेन्द्र भारती (जिला-दतिया)
(7) श्री संतोष वरकड़े (जिला-जबलपुर)
(8) श्री मथुरालाल डामर (जिला-रतलाम)
(9) श्री सोहनलाल बाल्मीक (जिला-छिंदवाड़ा)
(10) श्री श्रीकांत चतुर्वेदी (जिला-मैहर)
(11) श्रीमती सेना महेश पटेल (जिला-अलीराजपुर)
(12) श्री केदार चिड़ाभाई डावर (जिला-खरगोन)
(13) श्री चैन सिंह वरकड़े (जिला-मण्डला)
(14) श्री नीरज सिंह ठाकुर (जिला-जबलपुर)
(15) श्री मोन्टू सोलंकी (जिला-बड़वानी)
(16) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय (जिला-रतलाम)
(17) श्री देवेन्द्र रामनारायन सखवार (जिला-मुरैना)
(18) श्री पंकज उपाध्याय (जिला-मुरैना)
(19) डॉ. रामकिशोर दोगने (जिला-हरदा)
(20) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल (जिला-धार)
(21) श्री विश्वनाथ सिंह पटैल (जिला-नरसिंहपुर)
(22) श्री प्रताप ग्रेवाल (जिला-धार)
(23) श्री बिसाहूलाल सिंह (जिला-अनूपपुर)
(24) इंजी. हरिबाबू राय (जिला-अशोकनगर)
(25) श्री दिनेश गुर्जर (जिला-मुरैना)
(26) श्री प्रदीप अग्रवाल (जिला-दतिया)
(27) श्री सचिन सुभाषचंद यादव (जिला-खरगोन)
(28) श्री प्रदीप पटेल (जिला-मऊगंज)
(29) डॉ. हिरालाल अलावा (जिला-धार)
(30) श्री दिनेश जैन बोस (जिला-उज्जैन)
(31) श्री विपीन जैन (जिला-मंदसौर)
(32) श्री अभय मिश्रा (जिला-रीवा)
(33) श्री कालुसिंह ठाकुर (जिला-धार)
(34) डॉ. सतीश सिकरवार (जिला-ग्वालियर)
(35) श्री भैंरो सिंह बापू (जिला-आगर-मालवा)
(36) सुश्री रामश्री राजपूत (जिला-छतरपुर)
(37) श्री कमलेश्वर डोडियार (जिला-रतलाम)
(38) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी (जिला-खरगोन)
(39) श्री प्रणय प्रभात पांडे (जिला-कटनी)

(40) श्री सुरेश राजे (जिला-ग्वालियर)
(41) श्री मधु भाऊ भगत (जिला-बालाघाट)
(42) इंजी. प्रदीप लारिया (जिला-सागर)
(43) श्री कामाख्या प्रताप सिंह (जिला-छतरपुर)
(44) श्री सचिन बिरला (जिला-खरगोन)
(45) श्री दिनेश राय 'मुनमुन' (जिला-सिवनी)
(46) श्रीमती अनुभा मुंजारे (जिला-बालाघाट)
(47) श्री विवेक (विक्की) पटेल (जिला-बालाघाट)
(48) श्री केशव देसाई (जिला-भिण्ड)
(49) श्री गोपाल सिंह इंजीनियर (जिला-सीहोर)
(50) श्री हजारीलाल दांगी (जिला-राजगढ़)
(51) श्री साहब सिंह गुर्जर (जिला-ग्वालियर)
(52) श्री उमाकांत शर्मा (जिला-विदिशा)
(53) श्री गौरव सिंह पारधी (जिला-बालाघाट)
(54) श्री बृजेन्द्र सिंह यादव (जिला-अशोकनगर)
(55) कुंवर अभिजीत शाह (जिला-हरदा)
(56) श्री राजन मण्डलोई (जिला-बड़वानी)
(57) श्री राकेश शुक्ला 'गोलू' (जिला-इंदौर शहर)
(58) श्री शिवनारायण सिंह (जिला-उमरिया)

## 5. राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के प्रबंध मण्डल के लिए राज्य विधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन संबंधी घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के प्रबंध मण्डल के लिये राज्य विधान सभा के तीन सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में घोषित किये गये कार्यक्रम अनुसार नाम वापसी के पश्चात तीन उम्मीदवार शेष है उक्त कृषि विश्वविद्यालय के लिए तीन सदस्य ही निर्वाचित किये जाने है.

अत: मैं निम्नानुसार सदस्यों को राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के प्रबंध मण्डल के लिये सदस्यों को निर्विरोध निर्वाचित करता हूं.

1. श्री बृजेन्द्र सिंह यादव
2. श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह
3. श्री साहब सिंह गुर्जर

## 6. अशासकीय संकल्प.

(1) **डॉ. रामकिशोर दोगने (श्री आशीष शर्मा),** सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि -

"यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि स्वीकृत जबलपुर व्हाया बुधनी रेल्वे लाईन हरदा से संदलपुर (जिला-देवास) लाईन जोड़ी जाए." संकल्प प्रस्तुत हुआ.

श्री राकेश सिंह, लोक निर्माण मंत्री ने उत्तर दिया.

संकल्प सर्वानुमति से स्वीकृत हुआ.

(2) **श्री यादवेन्द्र सिंह,** सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि -

"सदन का यह मत है कि गुना, अशोकनगर, ललितपुर, टीकमगढ़, बुडेरा, छतरपुर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाए.".

संकल्प प्रस्तुत हुआ.

श्री राकेश सिंह, लोक निर्माण मंत्री ने उत्तर दिया.

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ.

## 7. नियम 267-क के अधीन विषय एवं तत्संबंधी अध्यक्षीय घोषणा

(1) श्री पंकज उपाध्याय, सदस्य ने अटल प्रोग्रेस-वे (चम्बल एक्सप्रेस-वे) में किसानों की अधिग्रहित की गई भूमि का अधिग्रहण पूर्वानुसार किए जाने,

(2) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे, सदस्य ने जिला भिण्ड की ग्राम पंचायत निवारी एवं महेबा के विद्युत सब स्टेशन निर्माण होने तथा

(3) श्री महेश परमार, सदस्य ने राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल में भ्रष्ट अधिकारियों की विधायक से प्राप्त शिकायत पत्रों पर जांच शुरू करने में विलंब किए जाने,

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत की.

**तदनंतर अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -**

(4) श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य ने सागर जिला मकरोनिया अतंर्गत गैस माफियाओं द्वारा की जा रही काला बाजारी पर रोक न लगाए जाने,

(5) श्री कैलाश कुशवाहा, सदस्य ने शिवपुरी जिले में मंजरा/टोलो को राजस्व ग्रामों में घोषित न किए जाने,

(6) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य ने प्रदेश के आदिवासी छात्रावासों को सरकारी योजना का लाभ न मिल पाने,

(7) श्री लखन घनघोरिया, सदस्य ने जबलपुर स्थित छात्रावासों में छात्रों से भेदभाव पूर्ण व्यवहार एवं पर्याप्त व्यवस्थाएं न होने,

(8) श्री राजेन्द्र भारती, सदस्य ने दतिया स्थित क्षतिग्रस्त हुए तालाब/बांध की मरम्मत कराए जाने,

(9) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य ने उज्जैन से जावरा प्रस्तावित नवीन सड़क मार्ग अतंर्गत जावरा नयागांव फोरलेन को भी जोड़े जाने,

(10) श्री साहब सिंह गुर्जर, सदस्य ने ग्वालियर जिले में संचालित बापूना एल्क्रोब प्रा.लि. रायरू फैक्ट्री के वेस्टेज वाटर के कारण स्थानीय किसानों की फसलों को नुकसान होने,

(11) श्री सुनील उईके, सदस्य ने भोपाल में दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की झुग्गी बस्ती भीमनगर के निवासरत पट्टेधारी रहवासियों से बिना निश्चित धन राशि जमा कराये एवं बिना दस्तावेज परीक्षण के मकान प्रदाय किए जाने तथा

(12) श्री मधु भगत, सदस्य ने विधानसभा क्षेत्र परसवाड़ा में किसानों को मनमाना एवं उपयोग से ज्यादा बिजली के बिल प्रदाय किए जाने

नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुईं मानी गईं.

## 8. सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिये स्थगित किया जाना : घोषणा

इंडियन नेशनल कांग्रेस और भाजपा के अनेक सदस्यों द्वारा अपने आसनों पर खडे होकर नारेबाजी किए जाने से सदन की कार्यवाही में अत्यधिक व्यवधान के कारण अध्यक्ष महोदय द्वारा अपराह्न 12.28 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित की गई.

**अवधेश प्रताप सिंह,**
**प्रमुख सचिव,**
**मध्यप्रदेश विधान सभा**

**भोपाल:**
**दिनांक: 20 दिसम्बर, 2024**